पंजीकरण संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015—17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 ई0 (पौष 09, 1939 शक सम्वत्) [संख्या—52

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग—अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग—अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	871—887	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	841—863	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	67—69	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	05—07	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	171—213	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1434 / XXXI(4) / 17–06(विविध) / 2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री मदन मोहन भारद्वाज, वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–12, ₹ 78,800–2,09,200) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक को प्रमुख निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उपरोक्त प्रमुख निजी सचिव वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4. संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका (S.L.P.) संख्या–10600–10601 / 2011, श्री कृष्ण कुमार मदान व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–239 / 2016 (एस0 / बी0), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार, यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित / परमार्जित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–4

कार्यालय ज्ञाप

05 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1224 / बीस–4 / 2017–1(06) / 2013–मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 30.11.2017 में पारित निर्णय के क्रम में अधिसूचना संख्या 1209 / बीस–4 / 2017–1(06) / 2013, दिनांक 04.12.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई है।

2. उक्त नियमावली अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1209 / बीस–4 / 2017–1(6) / 2013–श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 432 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, दण्डादेशों के निलम्बन के बारे में और उन शर्तों के बारे में, जिन पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने और निस्तारित किये जाने चाहिये, निदेश देने के लिए एतद्द्वारा अधोलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:—

उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार	1.	(1)		इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 है।
		(2)		यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
		(3)		इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
		(4)		यह नियमावली उत्तराखण्ड के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, सिद्धदोष बन्दियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर की न्यायिक अभिरक्षा के अधीन राज्य के बाहर परिरूद्ध हों, किन्तु वह निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगी:–
			(क)	ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है, सिद्धदोष बन्दियों पर;
			(ख)	ऐसे बन्दियों पर, जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अन्य आपराधिक मामला लम्बित हो;
			(ग)	ऐसे बन्दियों पर, जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हैं, जिसके लिए दण्डादेश का निलम्बन किसी विधि में अनुमन्य नहीं है।
परिभाषाएँ	2.	जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–		
		(1)		'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय अभिप्रेत हैं;
		(2)		'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
		(3)		'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
		(4)		'प्रपत्र' से इस नियमावली से संलग्न कोई प्रपत्र अभिप्रेत है;
		(5)		'बन्दी' से उत्तराखण्ड न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दी अभिप्रेत है।
दण्डादेश के निलम्बन की शक्ति	3.	(1)		मण्डलायुक्त किसी बन्दी के दण्डादेश का निलम्बन 15 दिन तक निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर कर सकेंगे; अथार्त्:–
			(क)	बन्दी के माता, पिता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन की बीमारी, या
			(ख)	उक्त खण्ड (क) में उल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी की मृत्यु, या
			(ग)	पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन का विवाह, या
			(घ)	अपनी निजी भूमि पर कृषि की बुआई या कटाई के लिए, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसके लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो। इस हेतु

				बंदी को अपनी निजी कृषि भूमि के सम्बन्ध में खतौनी/बही अथवा अन्य अभिलेख उपलब्ध कराना होगा; परन्तु उक्त आधार पर दण्डादेश का निलम्बन केवल उन मामलों में किया जायेगा जिनमें तीन वर्ष तक के कारावास (जुर्माने सहित या जुर्माने रहित) का दण्डादेश दिया गया है, या
			(ड)	ऐसी विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में जिसमें बंदी की उपस्थिति आवश्यक है, जैसे बंदी का घर टूट जाना अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, जिसकी पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाय, या
			(च)	बंदी के असाध्य रोगों जैसे कैन्सर, एड्स के उपचार एवं लीवर, किडनी तथा हृदय आदि शारीरिक अंगों के प्रत्यारोपण हेतु; परन्तु इस प्रतिबन्ध के साथ कि बंदी के उपचार पर व्यय धनराशि को स्वयं बंदी द्वारा अथवा उसके परिवारजनों द्वारा वहन किया जायेगा; परन्तु यह और भी कि जेल में उसका उपचार कराये जाने का पूर्ण प्रयास हुआ है किन्तु वह स्वस्थ नही हो पा रहा हो और उक्त उपचार उसके जीवन रक्षार्थ आवश्यक है।
		(2)		सरकार अग्रेत्तर आवश्यकता होने पर उपनियम (1) में उल्लिखित किन्हीं आधारों पर दण्डादेश के निलम्बन की अवधि 02 माह की अवधि तक बढा सकेगी जिसमें की नियम–3(1) में स्वीकृत अवधि भी सम्मिलित होगी।
दो माह बाद दण्डादेश के निलम्बन की अवधि का विस्तारण	4	(1)		उपनियम–3(2) में निर्दिष्ट दण्डादेश के निलम्बन की अवधि अग्रेत्तर आवश्यकता होने पर राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से 03 माह तक विस्तारित की जा सकेगी जिसमें नियम–3(1) एवं 3(2) की अवधि भी सम्मिलित होगी।
		(2)		किसी बंदी के दण्डादेश के निलम्बन की कुल अवधि (सम्पूर्ण दण्डावधि काल के दौरान) सामान्यतः 12 माह से अधिक नही हो सकेगी, किन्तु आवश्यकता का औचित्य उचित पाये जाने पर किसी बन्दी के दण्डादेश के निलम्बन की अवधि (सम्पूर्ण दण्डावधि काल के दौरान) राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से 12 माह से अधिक हो सकेगी।
दण्डादेश के निलम्बन की प्रक्रिया	5	(1)		दण्डादेश के निलम्बन के लिए प्रार्थना–पत्र स्वयं बंदी द्वारा या बंदी के परिवार के किसी सदस्य या निकट सम्बन्धी द्वारा विहित प्रपत्र–1, में दो प्रतियों में सम्बन्धित जेल के अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। जेल अधीक्षक एक प्रति अपनी अभ्युक्तियों के साथ और प्रपत्र–2 में जेल रिपोर्ट के साथ महानिरीक्षक कारागार के माध्यम से सरकार को और दूसरी प्रति सीधे सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करेगा।
		(2)		राज्य सरकार या मण्डलायुक्त जैसी भी स्थिति हो बंदी के दण्डादेश के निलम्बन की वांछनीयता पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगेगे, जो कि ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाय, कराने के पश्चात् अपनी–अपनी रिपोर्ट प्रपत्र–3 में 30 दिन के भीतर सीधे राज्य सरकार को या मण्डलायुक्त को जैसी भी स्थिति हो प्रस्तुत करेंगे।
		(3)		राज्य सरकार उचित मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 की उपधारा (2) के अधीन उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश, जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुयी थी या जिसके द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी, से राय मांग सकेगी।
		(4)		राज्य सरकार या मण्डलायुक्त जैसी भी स्थिति हो बंदी की आयु, स्वास्थ्य की दशा, भोगे गये दण्डादेश और जेल में उसके चाल–चलन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांग सकेंगे।
		(5)		कोई बंदी किसी दण्डादेश के निलम्बन पर तब तक नही छोडा जायेगा जब तक कि वह जिला मजिस्ट्रेट के समाधान हेतु व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा दो जमानतीयों के साथ इस आशय की प्रतिभूतियां प्रस्तुत न कर दे कि वह दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की समाप्ति पर सम्बन्धित जेल में उपस्थित हो जायेगा और उक्त अवधि के दौरान शान्ति बनाये

			रखेगा और अच्छा चाल–चलन रखेगा।
आदेश बनाने की शक्ति	6	राज्य सरकार, इस नियमावली के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कठिनाईयों के निवारण हेतु सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा आदेश कर सकेगी, परन्तु इस प्रकार के आदेश इस नियमावली के प्रख्यापन के दो वर्ष के भीतर तक किये जा सकेंगे।	
दण्डादेश के निलम्बन की शर्तें	7	(1)	हत्या, डकैती, बलात्कार, पोक्सो, राजद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध एवं आतंकवाद सम्बन्धी अपराध या अन्य अपराध जिनमें 10 वर्ष (जुर्माने सहित या जुर्माने रहित) या अधिक के कारावास का दण्डादेश दिया गया है में बिना परिहार के न्यूनतम चार वर्ष का दण्डादेश न भोग चुका हो, दण्डादेश का निलम्बन मंजूर नही किया जायेगा। अन्य समस्त मामलों में दण्डादेश का निलम्बन तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि बन्दी बिना परिहार के न्यूनतम 01 वर्ष का दण्डादेश न भोग चुका हो।
		(2)	यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक की यह राय हो कि बन्दी के छोड़े जाने से क्षेत्र की शान्ति और प्रशान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो दण्डादेश का निलम्बन जघन्य अपराध के लिए किसी सिद्धदोष बंदी को या किसी आभ्यासिक अपराधी को मंजूर नही किया जा सकेगा।
		(3)	दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की गणना भोगे गये दण्डादेश की अवधि में नहीं की जायेगी।
		(4)	अपरिहार्य परिस्थितियों यथा, किसी बन्दी के माता–पिता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन की मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं में किसी बन्दी के दण्डादेश का निलम्बन 72 घण्टे के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा।
दण्डादेश के निलम्बन की शर्तों के उल्लंघन के लिए दण्ड प्रक्रिया	8	(1)	दण्डादेश के निलम्बन की अवधि में जिला प्रशासन द्वारा बंदी पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी। जेल अधीक्षक दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी बन्दी के जेल के बाहर नियत अवधि से अधिक ठहरने या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बारे में सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और महानिरीक्षक कारागार को सूचित करेगा और सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से उक्त बन्दी को गिरफ्तार करने के लिए अनुरोध करेगा।
		(2)	कोई बन्दी जिसके दण्डादेश का निलम्बन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया गया है:–
			(क) यदि वह 03 दिन के अन्दर विलम्ब से जेल में समर्पण करता है या गिरफ्तार कर लाया जाता है तो उसकी अनुशासनहीनता जेल पंजिका में अभिलिखित की जायेगी।
			(ख) यदि वह 03 दिन के बाद विलम्ब से जेल में समर्पण करता है या गिरफ्तार कर लाया जाता है तो अगले दो वर्ष तक उसके दण्डादेश का निलम्बन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रपत्र–1

दण्डादेश के निलम्बन के लिए प्रार्थना–पत्र

(नियम 5(1) देखिये)

1– बन्दी का नाम.....2–पिता/पति का नाम.....

3– बन्दी का पता.....

4– थाना .....तहसील .....जिला.....

5–बन्दी किस कारागार में बन्द है.....

6–बन्दी के अपराध की धारा व दण्ड की अवधि.....

.....

7– किस न्यायालय से दण्डित हुआ.....

8–बन्दी के दण्डित होने की तिथि.....

9–दिनांक .....तक भोगी गयी सजा –(अ) अपरिहार.....(ब) सपरिहार.....

10–बन्दी कोई अपील/रिवीजन किसी न्यायालय में विचाराधीन है अथवा नही.....

.....

11– क्या इससे पूर्व दण्डादेश निलम्बन प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें).....

.....

12– दण्डादेश निलम्बन की प्रार्थना का आधार.....

.....

13–कितनी अवधि के लिए दण्डादेश निलम्बन की प्रार्थना है.....

14–यदि दण्डादेश के निलम्बन की अवधि बढ़ायी जाने की प्रार्थना है तो.....

(क) अब तक कितना दण्डादेश निलम्बन हो चुका है.....

(ख) कितनी बार में.....

(ग) पिछली बार स्वीकृत दण्डादेश के निलम्बन अवधि किस तिथि को समाप्त हो रही है.....

.....

(घ) दण्डादेश निलम्बन में कितनी वृद्धि की प्रार्थना है.....

15– यदि शादी के आधार पर दण्डादेश निलम्बन मांगा गया है, तो

(क) पुत्री/पुत्र का नाम तथा पिता का नाम–

(ख) पुत्री/पुत्र की आयु

(ग) जिससे शादी होनी है उसके पिता का नाम

(घ) उसकी आयु–

16– यदि खेती के कार्य के लिए दण्डादेश निलम्बन की प्रार्थना है तो–

(क) क्या प्रार्थना बन्दी की जमीन की जुताई/बुआई के लिए है.....

(ख) क्या प्रार्थना फसल की कटाई, मड़ाई के लिए है.....

(ग) उपरोक्त दोनों दशाओं में यह अंकित करें कि उपरोक्त कार्यों के लिए क्या कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नही है? विवरण दें.....

.....

17– विशेष आपातकालीन परिस्थितियों, जैसे बंदी का घर टूट जाना अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति जिसमें बंदी की उपस्थिति आवश्यक हो, जिसकी पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी हो उसका विवरण.....

.....

.....

18–दण्डादेश निलम्बन का कोई अन्य कारण.....

.....

.....

दिनांक–

प्रार्थी के हस्ताक्षर

1–प्रार्थी का नाम–.....

2–पिता/पति का नाम.....

3–बन्दी से सम्बन्ध.....

4–ग्राम/कस्बा.....

5–डाकखाना.....

6–जिला.....

विशेष सूचना– दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की गणना भोगे गये दण्डादेश में सम्मिलित नही होगी।

प्रपत्र–3

जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र

(नियम 5(2) देखिए)

1. बंदी का सक्षिप्त आपराधिक इतिहास एवं लम्बित वादों की अद्यावधिक स्थिति।
2. बन्दी के परिवार के सदस्यों का विवरण।
3. बन्दी द्वारा पूर्व में भोगे गये दण्डादेश के निलम्बन/पैरोल/गृह अवकाश का विवरण तथा उसके दौरान बन्दी का चाल–चलन।
4. बन्दी को दण्डादेश के निलम्बन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उसकें द्वारा उल्लिखित कारण/आधार की पुष्टि।
5. बन्दी के दण्डादेश कें निलम्बन किये जाने के सम्बन्ध में कारण सहित अपनी सुस्पष्ट संस्तुतियाँ कि उक्त बन्दी के दण्डादेश का निलम्बन (पैरोल प्रदान) किया जाय अथवा नहीं किया जाय।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification **No. 1209/XX-4/2017-1(6)/2013,** Dated 04.12.2017 for general information.

NOTIFICATION

December 04, 2017

No. 1209/XX-4/2017-1(6)/2013--In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Governor here by makes the following general rules to give directions as to the suspension of sentences and the conditions on which Petition should be presented and dealt with, namely :

THE UTTARAKHAND (SUSPENSION OF SENTENCES OF PRISONERS) RULE, 2017

Short title, commencement and Details

1. (1) These rules shall be called The Uttarakhand (Suspension of Sentences of Prisoners) Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall extent to the whole of the State of Uttarakhand.

(4) These rules shall apply to the prisoners convicted by the court of Uttarakhand for such offence on which the executive power of the State extends whether they are detained within the State of Uttarakhand or outside the state under judicial custody of outside the State, but it shall not apply to:

(A) The prisoners convicted for such offence to which the executive power of the State does not extend.

(B) The convicted prisoners who have other criminal cases pending against them in before the court.

(C) The convicted prisoners who have been sentenced for such offense where suspension of sentence is not admissible in any law.

Definitions

2. In These Rules, unless there is repugnant to the subject or context.

(1) "Governor" means the Governor of Uttarakhand.

(2) "Government" means the State Government of Uttarakhand.

(3) "State" means the State of Uttarakhand.

(4) "Document" means any documents attached with these rules.

(5) "Prisoner" means convicted prisoner, who have been sentenced by the courts of Uttarakhand.

Power of suspend sentences

3. (1) The Commissioner may suspend the sentences of a prisoner up to fifteen days on the following grounds :-

(a) Illness of prisoner's mother, father, husband or wife, son, daughter, brother or sister, or

(b) Death of anyone of the relative mentioned in sub clause (a), or

(c) Marriage of son, daughter, brother or sister, or

(d) With the restriction for sowing or harvesting of agriculture on its private land, there is no other alternate arrangement for it. For this, Khatoni or Bahi in connection with his private land ;

Provided that the suspension of the sentence on the basis will be done only in case where punishment is imposed for imprisonment up to 3 years (with fine or without fine), or

(e) In special emergency situations where the presence of prisoner is necessary, such as the collapse of a house of the prisoner or other natural disaster, which is to be confirmed by the District Magistrate, or

(f) For the treatment of incurable disease like Cancer, AIDS and the transplant of body limbs as liver, Kidney and Heart etc of the prisoner ;

Provided that the expenditure sum of treatment shall be bome by the prisoner or his family;

Provided further that the full effort have been done in the prison for his treatment but he is not getting well and such treatment is necessary to save his life.

(2) The Government may on further requirement extend the period of suspension of sentence referred to in sub-rule (1) for a period not exceeding two month, In which the accepted period of rule(3)(1) will also be included.

Extension of the period of suspension after two months

4. (1) The period of suspension of the sentences specified in sub rule 3(2) can be extended up to three months with the prior approval of Governor if required further, in which the period of rule 3(1) and 3(2) will also be included.

(2) The total period of suspension of sentence of the prisoner (during the entire Punishment Period) may ordinarily not exceed twelve months, but the period of the suspension of sentences of a prisoner (during the entire Punishment Period) may exceed twelve month on the justification of requirement with prior approval of Governor.

Procedure for suspension of sentence

5 (1) The application for suspension of sentences may be submitted in prescribed Form-I by the prisoner or by a member of the family or a close relative of the prisoner in duplicate through the superintendents of the jail concerned, the jail superintendent has a copy of the case along with his comments and jail reports in Form-II through Inspector General Jail to the Government and another copy to the District Magistrate concerned.

(2) The Government or Commissioner will call for the report from the District Magistrate and Superintendent of Police concerned on the desirability of the suspension of the sentence of the prisoners, who after conduction such enquiry as deemed necessary shall submit their report in Form-III within 30 days to the Government or Commissioner.

(3) In appropriate cases State Government may call for the opinion the presiding Judge of the Court before or by which the conviction was had or confirmed under sub section (2) of Section 432 of the code of Criminal procedure, 1973.

(4) The Government or Commissioner shall call for report from the superintendent of the jail concerned regarding age, condition of Health, Sentence and conduct of the prisoner in jail.

(5) No prisoner shall be released on suspension of sentence under

he furnishes sureties along with personal bond and grantee of two granters to the satisfaction of the District Magistrate to the effect that he shall surrender in Jail concerned on expiry of the period of suspension of sentence and shall maintain peace and good conduct during the suspension of sentence.

Rule making powers

6. The State Government may, by notification in the official Gazette and subject to the condition of previous publication, make order to carry out the purpose of this rule but such order can be made up to two years for enforcement date of this rules.

condition for suspension of sentence

7. (1) Suspension of sentence shall not be granted to the prisoners convicted Murder robbery rape pocso treason; war against state and terrorism related crimes or other crimes in which a penalty of imprisonment of ten years or more (with fine or without fine) has been ordered served minimum four years sentence without remission. In all other cases suspension of sentence shall not be granted unless the prisoner has served minimum one year sentence without remission.

(2) Suspension of sentence may not be granted to the prisoners convicted for heinous crime or to a habitual offender if the District Magistrate or Superintendent of police is of the opinion that the release of the prisoners may adversely affect peace and tranquility of the area.

(3) The period of suspension of sentences shall not count towards the period of sentence served.

(4) In case of inevitable circumstances such as death of parent's spouse, son, daughter, brother, or sister, or suspension of a prison sentence in natural disaster, suspension can be done by the District Magistrate for 72 hours.

Punishment procedure for violation of condition of suspension of sentences

8. (1) The prisoner shall be in a cautious vigilance of the district administration within the duration of the suspension of sentence. The superintendent of jail shall inform to the District magistrate of concerned district and the Director General of Prisons about the over stay and unauthorized absence of a prisoner from the jail after expiry of the period of suspension of the sentence and request the District Magistrate and Superintendent of Police concerned to cause the arrest of the said prisoner.

(2) Any prisoner whose sentence has been suspended for a specified period:-

(a) If he surrenders or is arrested in jail after delays within three days, his indispensability will be recorded in the prison register.

(b) If he surrenders in jail after three days delays or is arrested, then the suspension of his sentence will not be accepted for next two years.

Form – 1

APPLICATION FOR SUSPENSION OF SENTENCES

{See rule 5(1)}

1. Name of Prisoner__________
2. Name of Father/Husband__________
3. Address of prisoner__________
4. Police Station__________ Tehsil__________ District__________
5. Jail where the prisoner is confined__________
6. Section of crime and sentence awarded to the prisoner__________
7. Name of the convicting court __________
8. Date of sentence __________
9. Total Sentence served till date __________

   (a) Without Remission__________ (b) With Remission __________
10. Whether any appeal or revision is pending before any court or not__________
11. Whether suspension of sentences was granted earlier (If yes give details)__________

    ____
12. Grounds of suspension of sentences application__________
13. Period for which suspension of sentences is applied __________
14. If request for extension of suspension of sentences is applied:
    a. Total period of suspension of sentences sanctioned till date__________
    b. Number of times suspension of sentences granted __________
    c. Date on which sanctioned previous suspension of sentences is expiring __________
    d. Period for which extension in suspension of sentences is applied __________
15. If suspension of sentences is applied on grounds of marriage, then:
    a. Name of the daughter/son and father's name: __________
    b. Age of Daughter/Son: __________
    c. Father's name of the person with whom the marriage is being solemnized:__________
    d. Age of his/her: __________

    Note:-The details of the boy and the girl whose marriage is to be solemnized be given essentially
16. If suspension of sentences is applied for agriculture work:
    a. Whether application is for cultivation: __________
    b. Whether application is for Harvesting a crop: __________
    c. In both the cases indicate whether some other person is not available for the above work, give details: __________

17. In special emergency situations where the presence of prisoner is necessary, Such as the collapse of a house of a prisoner's, or other natural disaster, which is to be confirmed by the District Magistrate._____

18. Any other reason for suspension of sentences_____

Date:

Signature of applicant,

1. Name of applicant_____
2. Name of father/husband_____
3. Relation with the prisoner_____
4. Village/Town_____
5. Post Office_____
6. District_____

Special Information – The period of suspension of sentences shall not count towards the sentence

Form-II

PERFORMA FOR SUSPENSION OF SENTENCES "JAIL REPORT"

{See rule 5(1)}

Date _____ (Date of issue)

1. Jail entry Register Number _____ 2.Prisoner Number _____

3. Name of the Prisoner _____ 4. Father/Husband Name _____

5. Current Age _____ 6. Date of Birth _____

7. Full address of the prisoner _____

8.(a) Name of the convicting court _____

(b) Date of conviction _____

9. Details of Commutation and date of death sentence, Life imprisonment or any other Sentence _____

_____

10. Crime no, ST no, Crime Sections and period of sentence _____

11. Punishment Period _____

12. (a) Date of Admission in jail _____

(b)Date of Re-admission in jail _____

13. Sentence Convicted Till Date _____

	Year	Month	Days
Actual/Without Remission			
Earned Remission			
Total Sentences with Remission			

14. Status Appeal/Revision in court _____

15. Details of other pending cases against the prisoner (if any) _____

16. Conduct of prisoner in jail (Along with details of jail punishment) _____

17. Health of Prisoner (Explicitly Mentioned) _____

18. Full detail of previous suspension of sentences /home leave sanctioned to the inmate _____

_____

19. Whether the prisoner has surrendered on time in jail on earlier sanctioned suspension of sentences /home leaves. If no, then details of the period and punishment awarded _____

20. Whether Mercy petition of the prisoner is pending _____

Senior Superintendent/Superintendent
of Jail

Forwarded-

Inspector General of Jail
Uttarakhand

FORM – III

PRESCRIBED FORM FOR OBTAINING REPORT FROM DISTRICT MAGISTRATE

{ See rule 5(2) }

1. Brief Criminal history of prisoner and latest position of pending cases _____

2. Details of family members of prisoner _____

3. Details of parole/home leaves previously availed by the prisoner and his conduct during the period _____

4. Confirmation of grounds/reasons for grant of suspension of sentence as mentioned by the prisoner _____

5. Recommendations along with reasons whether the suspension of sentence should be sanctioned to the prisoner or not _____

By Order,
ANAND BARDHAN,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/806-भाग 1-2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 ई0 (पौष 09, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

07 दिसम्बर, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4249/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त, अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 1018/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 1019/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 1020/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 1021/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 1022/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; समदिनांकित 05 दिसम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2017 जारी करने; रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका वार्षिक आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ तक है, को तिमाही जुलाई–सितम्बर, 2017 से तिमाही जनवरी–मार्च, 2018 तक जीएसटीआर–1 दाखिल करने की समयावधि निर्धारित किये जाने; माह अक्टूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले व्यापारियों के लिए देय विलम्ब शुल्क ₹ दस से अधिक है, का अधित्यजन रहेगा; ई–कॉमर्स प्रचालकों, जिनका वार्षिक आवर्त ₹ 10 लाख से अनधिक है, को रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्रदान किये जाने एवं अधिसूचना संख्या 977, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में संशोधन किया जाना अधिसूचित किये जाने विषयक है।

[illegible] भी सूचनार्थ, इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ करवाकर [illegible] अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1018/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2017

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।
   (2) ये दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 43 में संशोधन
   उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें एतस्मिन पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

   "स्पष्टीकरण–नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1338(क), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 42/2017–एकीकृत कर, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।

3. नियम 54 में संशोधन
   "मूल नियम" के नियम 54 के उपनियम (2) में, "पूर्तिकार, उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा" शब्दों के स्थान पर, "पूर्तिकार, उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी कर सकेगा" शब्द रखे जायेंगे

4. नया नियम 97क का अन्तःस्थापन
   "मूल नियम" के नियम 97 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

   97क, मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण–इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किये जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाण–पत्र के इलेक्ट्रानिक रूप से जारी किये जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किये जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाण–पत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किये जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।";

5. नया नियम 107क का अन्तःस्थापन

"मूल नियम" के नियम 107 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

107क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण–इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किये जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाण–पत्र के इलेक्ट्रानिक रूप से जारी किये जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किये जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाण–पत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किये जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।

6. नया नियम 109क का अन्तःस्थापन

"मूल नियम" के नियम 109 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति–(1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, तीन मास के भीतर–

(क) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहाँ ऐसा विनिश्चय या आदेश संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) अपर आयुक्त (अपील)/संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहाँ ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या राज्य कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

(2) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर,–

(क) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहाँ ऐसा विनिश्चय या आदेश संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) अपर आयुक्त (अपील)/संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहाँ ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या राज्य कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

7. नया प्ररूप जी0एस0टी0 आर0एफ0डी0 01क का अन्तःस्थापन

"प्ररूप जी0एस0टी0 आर0एफ0डी0 01" के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

"प्ररूप जी0एस0टी0 आर0एफ0डी0 01क"

[*नियम 89 (1) और नियम 97क देखें*]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुएल रूप से)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति, अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति या अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जी0एस0टी0आई0एन0 / अस्थाई पहचान–पत्र							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर की अवधि (यदि लागू हो)	< वर्ष >< मास > से < वर्ष >< मास > तक						
6.	दावा किये गये प्रतिदाय की रकम (₹)	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
		केन्द्रीय कर						
		राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		योग						
7.	दावा किये गये प्रतिदाय के आधार (सामने में से चुनें)	(क)	इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में आधिक्य अधिशेष					
		(ख)	सेवाओं का निर्यात–कर के भुगतान के साथ					
		(ग)	माल / सेवाओं का निर्यात–कर के भुगतान के बिना (संचित आई0टी0सी0)					
		(घ)	विपरीत कर संरचना के प्रति शोध्य संचित आई0टी0सी0 [धारा 54(3) के पहले परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन]					
		(ङ)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को किये गये प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के साथ)					
		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को किये गये प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के बगैर)					
		(छ)	समझा गया निर्यात का प्राप्तिकर्ता					

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किये गये एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दावा किये गये आई0टी0सी0 प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूट प्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किये गये माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई0टी0सी0 सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा संदत्त कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अन्तर्गत आता है।

हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम/प्रास्थिति

स्वघोषणा [नियम 89(2)(छ)]

मैं/हम---------- (आवेदक), जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी---------- सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि---------- से ---------- तक कि अवधि के लिए कर, ब्याज या अन्य किसी राशि से संबंधित-------रुपये की राशि के प्रतिदाय के सम्बन्ध में, प्रतिदाय आवेदन में, जिसका दावा किया गया है, उसके बारे में ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम/प्रास्थिति

(यह घोषणा ऐसे आवेदकों के लिए अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है।)

8. सत्यापन

मैं/हम < करदाता का नाम > सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी, मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं लिया है।

स्थान — प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

तारीख — (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

अनुबंध–I

विवरण–1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्य आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खण्ड (ii)]

(राशि ₹ में)

माल की विपरीत कर दर पर प्रदाय का आवर्त	माल की ऐसी विपरीत कर दर पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा किये जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय की राशि [(1×4÷3)–2]
1	2	3	4	5

विवरण–3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय राशि की संगणना

(राशि ₹ में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण–5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाईयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भुगतान के बिना किये जाने वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय की राशि की संगणना

(राशि ₹ में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

प्ररूप–जी0एस0टी0–आर0एफ0डी0–01 ख

[*नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5), और नियम 97क देखें*]

प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

1.	एआरएन	
2.	जीएसटीआईएन/अस्थाई आईडी	
3.	विधिक नाम	
4.	फाइल किये जाने की तारीख	
5.	प्रतिदाय का कारण	
6.	वित्तीय वर्ष	
7.	मास	
8.	आदेश सं0:	
9.	आदेश को जारी किये जाने की तारीख	
10.	पेमेंट एडवाइस की सं0:	
11.	पेमेंट एडवाइस की तारीख:	
12.	जिसको प्रतिदाय जारी किया गया:	ड्राप डाउन: करदाता/उपभोक्ता कल्याण निधि
13.	के द्वारा जारी:	
14.	टिप्पणी:	
15.	आदेश का प्रकार	ड्राप डाउन : आरएफडी–04/06/07 (भाग क)
16.	प्रतिदाय राशि के ब्यौरे (मैनुअल रूप से जारी आदेश के अनुसार):	

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर					
	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग
(क) दावा की गई प्रतिदाय राशि																								
(ख) अनन्तिम आधार पर मंजूर किया गया प्रतिदाय																								
(ग) अतिशेष राशि																								
(घ) अस्वीकार्य प्रतिदाय राशि																								
(ङ) सकल राशि, जिसका भुगतान किया जाना है																								
(च) ब्याज (यदि कोई हो)																								
(छ) विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया माँग के स्थान पर समायोजित राशि																								
(ज) शुद्ध राशि, जिसका भुगतान किया जाना है																								

17. कुर्की (आदेश)	आरएफडी–04; आरएफडी–06; आरएफडी–07 (भाग क)
तारीख:	हस्ताक्षर (डीएससी):
स्थान:	नाम :
	पदनाम :
	कार्यालय का पता:

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1018/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** dated December 05, 2017 for general information.

NOTIFICATION

December 05, 2017

No. 1018/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2017

1. **Short title and Commencement**
   (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2017.
   (2) They shall come into force with effect from 15th day of November, 2017.

2. **Amendment in Rule 43** In rule 43 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules), after sub-rule (2), the following explanation shall be inserted, namely :

   Explanation—For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 1338(E), dated the 27th October, 2017.

3. **Amendment in Rule 54** In sub-rule (2) of rule 54 of the "Principal Rules", for the words "supplier shall issue a tax invoice or any other document in lieu thereof", the words "supplier may issue a tax invoice or any other document in lieu thereof" shall be substituted.

4. **Insertion of new Rule 97A** After rule 97 of the "Principal Rules", the following rule shall be inserted, namely :

   97A. Manual filing and processing—Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.

5. **Insertion of new Rule 107A** After rule 107 of the "Principal Rules", the following rule shall be inserted, namely :

107A. Manual filing and processing—Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.

6. **Insertion of new Rule 109A** After rule 109 of the "Principal Rules", the following rule shall be inserted, namely :

109A. Appointment of Appellate Authority—(1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to :

(a) the Additional Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Joint Commissioner;

(b) the Additional Commissioner (Appeals)/Joint Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy or Assistant Commissioner or State Tax Officer.

within three months form the date on which the said decision or order is communicated to such person.

(2) An officer directed under sub-section (2) of section 107 to appeal against any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to :

(a) the Additional Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Joint Commissioner;

(b) the Additional Commissioner (Appeals)/Joint Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy or Assistant Commissioner or the State Tax Officer;

within six months form the date of communication of the said decision or order.

7. **Insertion of new FORM GST RFD-01A** After the **"FORM GST RFD-01"**, the following forms shall be inserted, namely :

"FORM-GST-RFD-01 A"

[See *rules 89(1) and 97A*]

Application for Refund (Manual)

(Applicable for casual taxable person or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector and other registered taxable person)

1.	GSTIN/Temporary ID							
2.	Legal Name							
3.	Trade Name, if any							
4.	Address							
5.	Tax period (If applicable)	From < Year >< Month > To < Year >< Month >						
6.	Amount of Refund Claimed (₹)	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
		Central tax						
		State/UT tax						
		Integrated tax						
		Cess						
		Total						
7.	Grounds of Refund Claim (select from drop down)	(a)	Excess balance in Electronic Cash Ledger					
		(b)	Exports of services-with payment of tax					
		(c)	Exports of goods/Services-without payment of tax (accumulated ITC)					
		(d)	ITC accumulated due to inverted tax structure [under clause (ii) of first proviso to section 54(3)]					
		(e)	On account of supplies made to SEZ unit/SEZ developer (with payment of tax)					
		(f)	On account of supplies made to SEZ unit/SEZ developer (without payment of tax)					
		(g)	Recipient of deemed export					

DECLARATION [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed

Signature

Name :

Designation/Status

DECLARATION [section 54(3) (ii)]

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name :

Designation/Status

DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit / the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name :

Designation/Status

SELF- DECLARATION [rule 89(2)(l)]

I/We.....(Applicant) having GSTIN/temporary Id....., solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to ₹...../ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from.....to....., claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name :

Designation/Status

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)

8. Verification

I/We < *Taxpayer name* > hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place :

Date :

Signature of Authorised Signatory

(Name)

Designation/Status

Annexure-1

Statement-1 [rule 89(5)]

Refund Type : ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in ₹)

Turnover of inverted rated supply of goods	Tax payable on such inverted rated supply of goods	Adjusted total turnover	Net input tax credit	Maximum refund amount to be claimed [(1×4÷3)–2]
1	2	3	4	5

Statement-3A [rule 89(4)]

Refund Type : Export without payment of tax (accumulated ITC)--calculation of refund amount.

(Amount in ₹)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type : On account of supplies made to SEZ unit/SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC)--calculation of refund amount

(Amount in ₹)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

FORM-GST-RFD-01B

[See *rules 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) and 97A*]

Refund Order details

1.	ARN	
2.	GSTIN/Temporary ID	
3.	Legal Name	
4.	Filing Date	
5.	Reason of Refund	
6.	Financial Year	
7.	Month	
8.	Order No. :	
9.	Order issuance Date :	
10.	Payment Advice No. :	
11.	Payment Advice Date :	
12.	Refund Issued To :	Drop down : Taxpayer/Consumer Welfare Fund
13.	Issued by :	
14.	Remarks	
15.	Type of Order	Drop down : RFD- 04/06/07 (Part A)
16.	Details of Refund Amount (As per the Manually issued Order) :	

Description	Integrated Tax						Central Tax						State/UT tax						Cess					
	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
(a) Refund amount claimed																								
(b) Refund Sanctioned on provisional basis																								
(c) Remaining Amount																								
(d) Refund amount in-admissible																								
(e) Gross amount to be paid																								
(f) Interest (if any)																								
(g) Amount adjusted against outstanding demand under the existing law or under the Act																								
(h) Net amount to be paid																								

17.	Attachments (Orders)	RFD-04; RFD-06; RFD-07 (Part A)
Date :		Signature (DSC) :
Place :		Name :
		Designation :
		Office Address :

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1019/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर–1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्:–

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई–सितम्बर, 2017	31 दिसम्बर, 2017
2.	अक्टूबर–दिसम्बर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी–मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1019/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** dated December 05, 2017 for general information.

NOTIFICATION

December 05, 2017

No. 1019/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons, who shall follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :

Table

Sl. No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1.	July-September, 2017	31 st December, 2017
2.	October-December, 2017	15th February, 2018
3.	January-March, 2018	30th April, 2018

3. The Special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2017 ई०

संख्या 1020 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्तूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा देय विलम्ब फीस की रकम का अधित्यजन कर सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है;

परन्तु ऐसे विवरणों में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक माह अक्तूबर, 2017 से आगे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलम्ब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यजन जारी रहेगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1020/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**, dated December 05, 2017 for general information.

NOTIFICATION

December 05, 2017

No. 1020/2017/9(120)/XXVII(8)/2017- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to waive the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues;

Provided that where the total amount of State tax payable in the said return is nill, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1021/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक स्रोत, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को, जो एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख की रकम से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किये जाने वाले संकलित व्यापारावर्त रखते हों, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1021/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** dated December 05, 2017 for general information.

NOTIFICATION

December 05, 2017

No. 1021/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to specify the persons making supplies of services, other than supplies specified under sub-section (5) of section 9 of the said Act through an electronic commerce operator, who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of ten lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1022/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अधिसूचना संख्या 977/2017/XXVII(8)/2017, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो उन परिस्थितियों में, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों को आकर्षित करती है, सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय करेगा और तद्नुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाये गये नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी, जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1022/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**, dated December 05, 2017 for general information.

NOTIFICATION

December 05, 2017

No. 1022/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of Notification No. 977/2017/XXVII(8)/2017, dated November 23, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the registered person, who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons, who shall pay the State tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

By Order,

RADHA RATURI,

Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,

एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

आदेश

04 जनवरी, 2017 ई0

पत्रांक 2165/C/समिति अनुभाग/प्राधि0–स्टा0पै0–गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियाँ, उत्तराखण्ड के आदेश संख्या 3758/सी/प्राधि0/स्थापन, दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा पूर्व में राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण एवं जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत निम्नानुसार पद सृजित किये गये हैं:–

क्र0 सं0	नाम प्राधिकरण	पदनाम	सृजित पदों की संख्या
1		2	3
1.	राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण	ज्येष्ठ सहायक	1
2.		कनिष्ठ सहायक	1
3.		जीप चालक	1
1.	क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण	ज्येष्ठ/वरिष्ठ सहायक	1
2.		कनिष्ठ सहायक	1
3.		अनुसेवक	1
4.		स्वच्छक	1
1.	जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण	कनिष्ठ सहायक	1+1+1=3
2.		अनुसेवक	1+1+1=3

उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों में लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन विषयक शासनादेश संख्या 406/XXVII(7)27(2)/2013, दिनांक 08 फरवरी, 2013 के साथ पठित शासनादेश संख्या 373/XXVII(7)27(2)/2013, दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधित किये गये हैं, जो कि उक्त प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों हेतु पूर्व से ही प्रभावी है। सन्दर्भित विषय में विभागीय संरचनात्मक ढाँचे में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 355/XXX(2)/15–30(51)2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के क्रम में राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण एवं जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण हेतु संयुक्त रूप से राजकीय विभागों के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में प्रभावी स्टॉफिंग पैटर्न के अनुसार गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियाँ, उत्तराखण्ड के आदेश संख्या 3758/सी/प्राधि0/स्थापन, दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण एवं जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण के कार्मिकों की पुनर्गठन संरचना को अतिक्रमित करते हुए, निम्नानुसार संयुक्त पुनर्गठन संरचना प्रभावी की जाती है:–

क्र0 सं0	पदनाम	प्रस्तावित पदों की संख्या
1	2	3
	मिनिस्ट्रीयल संवर्ग	
1.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	–
2.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01
3.	प्रशासनिक अधिकारी	01
4.	प्रधान सहायक	01
5.	वरिष्ठ सहायक	02
6.	कनिष्ठ सहायक	03
	कुल योग:–	08

1	2	3
चालक संवर्ग		
7.	वाहन चालक	01
कुल योगः–		01
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग		
8.	अनुसेवक	02
9.	स्वच्छक	01
कुल योगः–		03
महायोगः–		12

राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण एवं जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 प्रभावी होगी, साथ ही साथ कि भविष्य में संदर्भित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 एवं मिनिस्ट्रीयल संवर्ग हेतु किये जाने वाले संशोधन आदेशों का भी समान रूप से राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण एवं जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण हेतु अंगीकृत किया जायेगा। सम्बन्धित प्राधिकरणों हेतु अंशदान प्राप्ति की व्यवस्था पूर्वानुसार ही रहेगी।

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक,
सहकारी गन्ना समितियाँ,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

04 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 1292/चार–27/2016/टी0सी0यू0–डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग बैच–2016) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु दिनांक 08 अगस्त, 2017 से 28 अक्टूबर, 2017 की अवधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गयी विभागीय परीक्षा भाग–1 व भाग–2 में योगदान देने वाले निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी	विषय									
1.	सुश्री अनुराधा पाल, आई0ए0एस0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, आई0ए0एस0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3.	सुश्री नेहा मीना, आई0ए0एस0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4.	श्री सौरभ गहरवार, आई0ए0एस0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

विषय संकेत :

A-	आपराधिक वाद-निर्णय लेखन	F-	लोक प्रशासन
B-	राजस्व वाद निर्णय लेखन	G-	बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया
C-	राजस्व नियम एवं अधिनियम तथा भू–सर्वेक्षण	H-	स्थानीय निकाय एवं विविध अधिनियम
D-	हिन्दी निबन्ध एवं पत्र लेखन	I-	नियोजन एवं विकास
E-	जिला प्रशासन	J-	कृषि एवं ग्राम्य विकास

अवनेन्द्र सिंह चयाल,
निदेशक।

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून

"कार्यालय आदेश"

09 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 4073/स्था0एक/लि0सं0पदो0/2017–18–चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, पुनरीक्षित वेतन लेवल–10 के रिक्त पदों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में योगदान की तिथि से की जाती है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	पदोन्नति का पद एवं तैनाती स्थान
1.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
2.	श्री विरेन्द्र सिंह चौहान, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चमोली

यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

सम्बन्धित अधिकारी 15 दिन के भीतर पदोन्नति स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित अधिकारी पदोन्नति पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है तथा उक्त पदोन्नतियाँ स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

डा0 एस0 एस0 बिष्ट,
निदेशक।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश

आदेश

04 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 1270/लाइसेंस/2017–सहायक सम्भागीय अधिकारी, नई टिहरी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 164/प्रवर्तन/लाइसेंस/2017, दिनांक 15.05.2017 के माध्यम से लाइसेंसधारक श्री अंकित कुमार पुत्र श्री जगदम्बा, निवासी–म0 नं0 29, शत्रुघन मंदिर, मुनि–की–रेती, टिहरी गढ़वाल के मूल लाइसेंस (UK-1420120038620) को प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान भार वाहन में कुल सात सवारी बैठी पायी गई, छत पर तीन सवारी बैठी है जो कि खतरनाक संचालन है, करने के अभियोग में लाइसेंस के विरूद्ध संस्तुति के साथ कार्यवाही करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जबकि कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई प्रवर्तन कार्यवाही की तिथि–दिनांक 01.05.2017 में श्री अंकित कुमार का प्रश्नगत लाइसेंस मूल रूप में उक्त प्राधिकारी की पूर्व संस्तुति के क्रम में दिनांक 09.03.2017 से 08.06.2017 तक की अवधि के लिए कार्यालय अभिलेखों में निलम्बित था, लाइसेन्सधारक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। लाइसेंस के निलम्बन की सूचना कार्यालय पत्र 335/लाइसेंस/2016–17, दिनांक 28.02.2017 के माध्यम से लाइसेंसधारक को उपरोक्त पते पर प्रेषित कर दी गई थी।

स्पष्ट है कि लाइसेंसधारक कुटरचित ढंग से अभिलेख का सृजन कर एवं निलम्बन अवधि में वाहन का पुनः संचालन करता पाया गया हैं लाइसेंसधारक को पुनः कार्यालय पत्र 25/लाइसेंस/2016–17 एवं 37/लाइसेंस/निलम्बन/2017, दिनांक [illegible] द्वारा कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पंजीकृत डाक से सूचना प्रेषित की गयी, जो इस कार्यालय को इस टिप्पणी के साथ "इस नाम से कोई नहीं बताया गया है" वापस प्राप्त हुआ है। लाइसेंसधारक द्वारा या इस कार्यालय से लाइसेन्स वापिस हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया।

अतः, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में एवं लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में, मैं, डॉ0 अनीता चमोला, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा–1(च) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त लाइसेंस सं0 UK-1420120038620 को दिनांक 04.10.2017 से प्रतिसंहृत (Revoke) करती हूँ।

डॉ0 अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमावली, 2017

08 सितम्बर, 2017 ई0

संख्या 1064/जन0स्वै0से0नि0/2017–18–उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 में प्राविधानित अधिकारों तथा गन्ना चीनी एवं सहकारिता अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 249/XIV–1/2005, दिनांक 19 जुलाई, 2005 में प्रदत्त निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में कार्यरत कार्मिकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु निम्नवत् नियमावली बनाई जाती है:–

01	संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ	1. यह दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमावली, 2017 कहलायेगी। 2. यह उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अधीन निबन्धित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों हेतु जारी की जा रही है। 3. यह नियमावली गजट के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी। 4. यह नियमावली हानि प्राप्त कर रहे तथा रूग्ण दुग्ध संघों के कार्मिकों हेतु लागू होगी।
02	परिभाषाएँ	2. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में:– (क) अधिनियम का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 से है। (ख) सरकार का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सरकार से है। (ग) दुग्ध संघ का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 2004 के अन्तर्गत निबन्धित केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से है। (घ) निबन्धक का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 3(अ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निबन्धक दुग्ध सहकारी समिति से है। (ङ) संस्था का तात्पर्य, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 से है।

		(छ) अनवरत सेवा का तात्पर्य, अविच्छिन सेवा से है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी सेवा से भी है, जो किसी प्राधिकृत अवकाश के कारण या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपभाषित की जाने योग्य किसी अन्य अनुपस्थिति के कारण विच्छिन्न हो। टिप्पणीः–इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 तथा तद्धीन बनाई गई उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में परिभाषित सभी शब्दों, पदों के वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम/नियमावली में उनके लिए दिये गये हैं।
03.	पात्रता	1. वह कर्मचारी/अधिकारी, जिसके द्वारा 20 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा उसकी आयु 45 वर्ष की हो गई हो, ऐसे कार्मिक लिखित अनुरोध पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। 2. ऐसे कार्मिक, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/अन्य प्रकार की जाँच प्रचलित हो, उनके सम्बन्ध में प्रबन्धन द्वारा पृथक से विचार किया जायेगा। 3. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना मात्र नियमित कार्मिकों हेतु अनुमन्य होगी। यह नियमावली दैनिक वेतनभोगी, संविदा, तदर्थ, अंशकालिक, नियत वेतन तथा कार्यप्रभारित कार्मिक पर लागू नहीं होगी।
04.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम हेतु आवेदन	दुग्ध संघ के कार्मिकों द्वारा, स्वैच्छिक, सेवानिवृत्ति लिए जाने के प्रयोजनार्थ, निर्धारित संलग्न प्रारूप पर आवेदन, संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उपलब्ध करना होगा।
05.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ	1. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने वाले कार्मिकों को निम्नलिखित सेवानिवृत्तक लाभ प्राप्त होंगेः– (क) कर्मी के खाते में जमा उपार्जित अवकाश वेतन के बराबर धनराशि का भुगतान। (ख) दुग्ध संघों में लागू ग्रेच्युटी योजना के अनुसार कार्मिक द्वारा की गई सेवा अवधि पर देय ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान। (ग) भविष्यनिधि लेखें में देय धनराशि का भुगतान। (घ) जी0एस0एल0आई0 के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान। (ङ) तीन माह की नोटिस अवधि का वेतन। (च) कार्मिकों द्वारा कुल की गई सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष की सेवा को 1.5 माह के बराबर मानते हुए प्राप्त कुल माहों की संख्या को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे वेतन परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई भत्ता) से गुणा करने पर प्राप्त धनराशि।

		अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से कार्मिक की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि तक प्राप्त माहों की संख्या को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे मासिक वेतन परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई भत्ता) से गुणा करने पर प्राप्त धनराशि। उक्त में से जो भी कम हो, के अनुसार अनुग्रह राशि (Exgratia) भुगतान की जायेगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी ने 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों और उसकी सामान्य सेवानिवृत्ति के लिए केवल 01 वर्ष शेष रह गये हो तो उसे 12 माह की परिलब्धियों के बराबर अनुग्रह राशि (Exgratia) का भुगतान किया जायेगा न कि 36 माह की परिलब्धियों का। वर्तमान में जिन संस्थाओं में छठा वेतनमान प्रभावी है, उन दुग्ध संघों द्वारा परिलब्धियों में मूल वेतन एवं डी०ए० का भुगतान किया जायेगा तथा जिन संस्थाओं में पँचम वेतनमान लागू है, उन संस्थाओं द्वारा परिलब्धियों में मूल वेतन, मूल वेतन का 50 प्रतिशत एवं डी०ए० का भुगतान किया जायेगा। (छ) जिस कार्मिक द्वारा 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक की सेवाएँ पूर्ण कर ली हो, को अधिकतम 60 माह के वेतन परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह राशि (Exgratia) भुगतान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार भुगतान की जाने वाली धनराशि, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे वेतन परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई भत्ता) को अवशेष सेवा काल के माहों से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक नहीं होगी।
6.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी	1. दुग्ध संघों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्मिकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन–पत्रों के आधार पर नियमावली में दी व्यवस्थानुसार देयकों का आँकलन किया जायेगा। 2. कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन–पत्र एवं देयकों का विवरण दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित निबन्धक दुग्ध सहकारी समिति को अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।
7.	विवाद का निबटारा	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर विवाद की स्थिति में निबन्धक, दुग्ध सहकारी समिति, उत्तराखण्ड, का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

संजय कुमार,
निबन्धक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी,
समितियाँ, उत्तराखण्ड।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 52 हिन्दी गजट/[illegible]–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 ई0 (पौष 09, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0), चम्पावत

अधिसूचना की सूचना

10 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 127 / ना0नि0–वि0पुन0 / 2017–18–राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 470 / रा0नि0आ0अनु–3 / 1260 / 2017, दिनांक 22.09.2017 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद–243–यक के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) की धारा 12–ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद चम्पावत की नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण कराने हेतु मैं, डा0 अहमद इकबाल, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), चम्पावत एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय–सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा:–

कार्यक्रम		अवधि	दिनों की संख्या
(क)	1. नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति	24.10.2017 से 27.10.2017 तक	04 दिन
	2. कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना	28.10.2017 से 01.11.2017 तक	05 दिन
	3. प्रशिक्षण अवधि	02.11.2017 से 07.11.2017 तक	06 दिन
(ख)	संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	08.11.2017 से 11.12.2017 तक	34 दिन
(ग)	प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	12.12.2017 से 20.12.2017	09 दिन
(घ)	प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण	21.12.2017 से 21.01.2018	32 दिन
(ङ)	निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन एवं निरीक्षण	22.01.2018 से 01.02.2018	11 दिन
(च)	दावे / आपत्ति दाखिल करने की अवधि	02.02.2018 से 12.02.2018 तक	11 दिन

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(छ) दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	13.02.2018 से 20.02.2018 तक	08 दिन
(ज) पूरक सूचियों की तैयारी व मुद्रण	21.02.2018 से 08.03.2018 तक	16 दिन
(झ) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	09.03.2018	—

2. तद्नुसार जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा अपने–अपने स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे अथवा समस्त मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने सम्बन्धी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश–पुस्तिका के अध्याय–3 में उल्लिखित सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के नियम–20 (1)(2) के अधीन दायर की गई है।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित करते हुए, जनपद के समस्त नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जायेंगे, जो 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियाँ ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी।

डा0 अहमद इकबाल,
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0),
चम्पावत।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), चमोली

सूचना

29 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 119/21–13/सूचना/पं0नि0/17–राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 651/रा0नि0आ0–2–2229/2017, दिनांक 2[illegible] नवम्बर, 2017 के क्रम में जनपद चमोली में त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न कारणों से रिक्त प्रधान, क्षेत्र पंचायत, सदस्य, ग्राम पंचायत पदों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु उप निर्वाचन, अग्रसारित समय सारणी के अनुसार कराये जायेंगे:—

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
04.12.2017 एवं 05.12.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	06.12.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	07.12.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	08.12.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	16.12.2017 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	18.12.2017 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

ह0 (अस्पष्ट)

अपर जिला अधिकारी,

चमोली।

पी0एस0यू0-(अप्र0ई0)-52 हिन्दी गजट/806-भाग 3-2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, सजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 ई0 (पौष 09, 1939 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

अधिसूचना

दिनांक : 14 सितम्बर, 2017 ई0

संख्या 154/UKD/2017-P.Admn–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13–क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा, डा0 उमाकांत पंवार, आई0ए0एस0 के स्थान पर श्रीमती सौजन्या, आई0ए0एस0 (यू0के0डी0 2003) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्रीमती सौजन्या, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थी।

3. श्रीमती सौजन्या, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के रूप में कार्य करते हुए उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी, सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

आदेश से,

बी0 सी0 पात्रा,
सचिव।

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

NOTIFICATION

14th September, 2017

No. 154/UKD/2017-P.Admn.--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Uttarakhand hereby nominates Smt. Sowjanya, IAS, (UKD:2003) as the Chief Electoral Officer for the State of Uttarakhand with effect from the date she takes over charge and until further orders vice Dr. Umakant Panwar, I.A.S.

2. Smt. Sowjanya shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Uttarakhand, which she may be holding before such assumption of office.

3. Smt. Sowjanya while functioning as the Chief Electoral Officer, Uttarakhand shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Uttarakhand except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By Order,

B. C. PATRA,
Secretary.

मस्तूदास
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

अधिसूचना

दिनांक : 30 नवम्बर, 2017 ई0

सं0 23/वि0अ0/नोट/ईसीआई/प्रकार्या0/ईआरडी–ईआर/2017 (खंड–III)–यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र सं0 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या0/ईआरडी–ईआर2017 (खंड II), दिनांक 23 अगस्त, 2017 के जरिए 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची की घोषणा कर दी थी; और .

यतः, दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 10 अक्टूबर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक नियत की गई थी; और

यतः, प्रारूप नामावलियाँ यथा–निर्धारित 10 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने राज्य में दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि के दौरान चल रहे विशेष अभियान की समीक्षा की है; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने ऐसी समीक्षा करने और साथ ही विभिन्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त अनुरोध पर निर्णय लिया है कि राज्य में दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 15 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की उक्त अवधि के दौरान विशेष अभियान की अवधि को भी आगे बढ़ा दिया जाए जिससे बूथ लेवल अधिकारी अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे घर–घर जाकर सत्यापन के कार्य को पूरा कर सकेंगे;

अब, इसलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के चल रहे वर्तमान विशेष सार पुनरीक्षण के लिए राज्य में दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 15 दिसम्बर, 2017 को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा यह तारीख आगे बढ़ाई जाती है।

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया,
प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

NOTIFICATION

30th November, 2017

No. 23/Spl. Drive/NOT/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol.III)--Whereas, the Election Commission had announced the schedule for Special Summary Revision of electoral rolls in the State of Uttarakhand with reference to 01.01.2018 as the qualifying date vide its letter No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER2017(Vol.II) dated 23rd August, 2017; and

Whereas, the period for filing claims and objections was fixed from 10th October, 2017 to 30th November, 2017; and

Whereas, the draft rolls were published on 10th October, 2017 as scheduled; and

Whereas, the Election Commission has reviewed the progress of ongoing Special Drive being conducted during the period for filing claims and objections in the State; and

Whereas, the Election Commission has, on such review and also on request received from CEO, decided that the period for filing claims and objections in the State shall be further extended up to 15th December, 2017, so that period of Special Drive during the said period for filing claims and objections, also be extended to enable the Booth Level Officers to complete ongoing house to house verification in their respective polling station areas;

Now, Therefore, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, hereby extends the period for filing claims and objections in the State upto and including 15th December, 2017 for the current Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01.01.2018, as the qualifying date.

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA,
Principal Secretary.

सौजन्या,
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/806–भाग 7–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015—17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 ई0 (पौष 09, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, गूलरभोज (ऊधमसिंह नगर)

सार्वजनिक सूचना

03 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 358/गजट/2017—18—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत गूलरभोज ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140(1) के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमा के अन्तर्गत भूमि/भवन की व्यवस्था को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु भूमि/भवन कर लागू करने के लिये प्रशासक स्वीकृति दिनाँक 10.07.2017 के अनुसार नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत धारा 298 में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत उपविधि/उपनियम बनाने का निर्णय लिया गया हैं। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300(1) के अपेक्षा अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं, से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही हैं। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर नगर पंचायत, गूलरभोज के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपनियम भवन/भूमि कर

1.परिभाषा—

क). यह उपविधि नगर पंचायत गूलरभोज की सीमान्तर्गत भवन/भूमि कर के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी।

ख). प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से होगा।

ग). अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज के अधिशासी अधिकारी से होगा।

घ). सेवक से तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज के अधीन कर्मचारी से है।

ड). सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

च). निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज से है।

छ). यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

भवन/भूमि कर नियमावली का प्रारुप

2. अ)–बस स्टेशनों, होटलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों और इसी प्रकार के अन्य इमारतों का वार्षिक मूल्य, इमारत इनसे की वर्तमान लागत तथा उसके अहाते की भूमि की किमत का 10 प्रतिशत माना जायेगा।

ब). उस भवन या भूमि का जो उपरोक्त वाक्य खण्ड "अ" में नही आता सामान और मशीनों आदि को किराये में दी गयी हो उनके किराये को घटाकर विशेष किराया आदि जब भूमि या भवन किराये पर न उठायी गयी हो तो उचित किराया जिसमें की आने की आशा हो इमारतें हो तो मुश्तरफा अहाते की समस्त इमारतें।

3. अ)–15 दिसम्बर को या उससे पहले समस्त निकाय क्षेत्र में भीतर स्थित ऐसी इमारतों की सूची में तैयार करेगी जिसके संबंध में या मालूम हो कि उन पर कर लगाया जा सकता हैं तक निकाय में दर्ज की गयी प्रत्येक इमारत की मालियत पर और किसी ऐसी दूसरी इमारत की मालियत जो उसमें दर्ज ना हो पर जिसके संबंध में यह मालूम हो कि उस पर कर लगाया जा सकता हैं विचार करेगी और कर की यह रकम नियत करेगी जो ऐसी इमारतें स्वामी पर निर्धारित की जायेगी प्रत्येक इमारत का नाम उसके स्वामी का नाम वार्षिक मालियत जो उस इमारत की निर्धारित की गयी हो और कर की रकम जो उसके स्वामी पर निर्धारित कर दी गयी हो निर्धारण सूची में दर्ज की जायेगी जो इन नियमों के संलग्न प्रपत्रों के अनुसार होगी और 20 जनवरी को या उससे पहले की जायेगीं।

ब)– कर दो बराबर किश्तों में अदा कर दिया जायेगां और उनकी अदायगी की दिनांक 15 मई और 15 नवम्बर होगी। किन्तु इसमें प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाहे तो किसी किश्त को उसकी अदायगी के लिये नियत दिनांक से पहले अदा कर सकता हैं।

स)– यदि उस कर उस तिथि को उसको देना है। एक माह के अन्दर समाप्त नही किया गया तो, वह बकाया मान लिया जायेगा।

4. अ)–कोई व्यक्ति किसी भी समय अपना नाम किसी भवन या भूमि के लिये बतौर स्वामी कर की सूची में इन्द्राज कराने के लिये प्रार्थना कर सकता हैं और जब तक ऐसे प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत करने के लिये पर्याप्त कारण न हो अस्वीकृत नही किया गया तो उसका नाम कर सूची में इन्द्राज कर दिया जायेगा।

ब)–यदि किसी जायदाद के स्वामी के बारे में यह सन्देह हो तो बोर्ड (कमेटी) निर्णय देगा कि किसका नाम बतौर स्वामी लिखा जाये और वह निर्णय तब तक लागू रहेगा। जब तक प्रतियुक्त न्यायालय इसके विरुद्ध निर्णय न दें।

5. अ)–यदि भवन भूमि जिस पर कर लग चुका हो या लगने वाला हो के स्वामित्व के अधिकारों में परिवर्तन न हो वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों का परिवर्तन करता हैं और वह व्यक्ति जिसकों अधिकार परिवर्तन किये जाते हैं ऐसे परिवर्तन के दस्तावेज के लिये जाने या पंजीयन करने यदि पंजीयन किया गया हो तो के तीन मास के अन्दर इस अधिकार परिवर्तन की लिखित सूचना अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को देगा।

ब)– यदि भवन तथा भूमि जिस पर कर लग चुका हो अथवा लगने वाला हैं के स्वामी की मृत्यु हो गई हो तो उत्तराधिकारी तीन माह के अन्दर इसकी सूचना नगर पंचायत कार्यालय कों देगा।

6. ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हक में परिवर्तन किया गया हो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मॉगने पर परिवर्तन का दस्तावेज यदि कोई हो या उसकी प्रतिलिपि जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 के अधीन प्राप्त की गई हो दिखलायेगा।

7. 1)–वह व्यक्ति जिसके ऊपर उत्तराधिकारी के नोटिस का उत्तरादायित्व उपर्युक्त नियमों के अनुसार जायदाद का पिछला बकाया कर दाखिल खारिज के स्वीकृत हो जाने के पूर्व कुल जमा कर देगा।

2– अधिकार पाने वाला ब्यक्ति प्रत्येक जायदाद के दाखिल–खारिज के लिये 1000.00 रुपये शुल्क कार्यालय में जमा करेगा।

8. दाखिल खारिज के प्रार्थना पत्र अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायेगें किन्तु शर्त यह हैं कि किसी भी मामले को बोर्ड के निर्णय के लिये रख सकता हैं।

9. यह कर अधिनियम के अनुसार अधिशासी अधिकारी की देख रेख में वसूल किया जायेगा।

10. यदि किसी व्यक्ति का कर शेष रहेगा तो वह नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173(क) के अन्तर्गत वसूल किया जायेगा। यह कर कार्यालय नगर पंचायत के इन्डोर प्रणाली की ओर से वसूल किया जायेगा।

11. माफी या वापसी प्राप्ति के लिये इमारत का स्वामी जो अलग–अलग हिस्सों पर हों इमारत पर लगाये जाने के समय ऐसेसमेन्ट लिस्ट निर्धारण सूची के तमाम इमारत वार्षिक मूल्य के अतिरिक्त उसके अलग–अलग भागों में विस्तार से लिखे जाने के लिये निकाय से प्रार्थना कर सकता हैं।

12. नगर पंचायत के भवन कर लगाने के लिये स्वामी के पास भवन जिस पर नगर पंचायत कर लगाने में संबंधित अधिकार रखती हैं पर्याप्त है। चाहे वह भवन भूमि अथवा तत्संबंधी वस्तु किराये से मुक्त क्यों न हों।

कर का विवरण

1. नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत भवनों/भूमि के वार्षिक मूल्य पर 5 प्रतिशत कर लगाया जायेगा। उदाहरणत

(क)– यदि किसी भवन स्वामी के पास एक कमरे का मकान है जिसमें एक कमरा, एक रसोई, एक

बरामदा तथा लैटरिंग, बाथरूम युक्त है, ऐसी दशा में एक कमरे का प्रतिमाह 300/ रूपये किराया अर्थात 3600/ रूपये वार्षिक किराया मान लिया जाये। ऐसी दशा में 5 प्रतिशत वार्षिक दर से 180/रूपये प्रतिवर्ष भवन–कर अदा करना होगा।

(ख)– दो कमरे होने पर– 600X12X5%=360/ प्रतिवर्ष भवन कर।

2. ब्यवसायिक भवन कर दुकान, प्रतिष्ठान जो कि 15X20 फिट तक पर 8% वार्षिक भवन कर आरोपित किया जायेगा। अर्थात यदि गूलरभोज की व्यवसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम 500/ रूपये मासिक दुकान किराया मान लिया जाये ऐसी स्थिति मे 8% की दर से उक्त दुकान पर कर 480/ रूपये वार्षिक भवन कर आरोपित होगा। यदि भवन स्वामी अपने स्वयं के उपयोग में दुकान ला रहा है तब उक्त दर लागू होगी अन्यथा किराये पर देने पर 10% भवन कर तथा दिये जा रहे किराये की दर पर भवन कर आरोपित किया जायेगा। इसी प्रकार 10X10 की दुकान पर 5% भवन कर तथा किराया 400/रूपये मासिक मानते हुए 240/रूपये वार्षिक भवन कर आरोपित होगा।

3. यह कर जायदाद के स्वामी पर लगाया जायेगा।

4. यह कर निकाय या निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आंका जायेगा और कर निर्धारण के वर्ष की सूची जो इन नियमों से संलग्न प्रपत्र के अनुसार होगी और 20 जनवरी को या उससे पूर्व पूरी कर दी जायेगीं।

5. कर निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर ऐसे स्थानों की सूचना दी जायेगीं जहॉ पर सूचियॉ देखी जा सकती हैं और सभी सम्बन्धित ब्यक्तियों को बजरिये ब्यापक प्रचार तथा स्थानीय अखबार के माध्यम से सूचित किया जायेगा इस घोषणा के 30 दिन के अन्दर आपत्तियॉ निकाय में ली जायेगीं और ऐसी आपत्तियॉ निकाय द्वारा नियत तारीख को सुनी जायेगीं।

6. आपत्ति यदि कोई हो तो उजदार या उसकें प्रतिनिधि की उपस्थिति में तय की जायेगी। उजदार या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में आपत्तियों पर एक तरफा निर्णय लिया जायेगा और सूची मे ऐसे संशोधन किये जायेगें जो आवश्यक है

7. जब निकाय इस प्रकार की सूची को अंतिम रुप दे चुकी हो तो वह सूची समस्त कागजात सहित पुष्टिकरण के लिये नियत प्राधिकारी को भेज दी जायेगी।

8. नियत प्राधिकारी को या कोई नियत प्राधिकारी नियुक्त न किया गया हो तो जिलाधिकारी महोदय निर्धारित सूची की जॉच करेंगें और उसे या तो उसी रुप में पुष्टि कर देगें या निकाय को उसके ऐसे बदलाव शुद्धियॉ या संसोधन करने के ऐसे आदेश देगें जो उनकी राय में आवश्यक या न्यायोचित हों और जब उपरोक्त बदलाव आदि किये जा चुके हो तो वह उस सूची की पुष्टि कर देगें और उस पर हस्ताक्षर करेगें जो इस बात का प्रतीक होगा कि वह सूची पुष्टि कर दी गयी हैं तत्पश्चात् वह सूची कमेटी को लौटा दी जायेगी।

9. उपरोक्त खण्ड 7 में पुष्टि की गयी सूची को कार्यालय नगर पंचायत में जमा करा दी जायेगी और उसके बाद सार्वजनिक नोटिस देकर यह घोषणा की जायेगी कि सूची निरीक्षण के लिये उपलब्ध है,

10. इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथियों से भूमि/भवन कर से संबंधित समस्त पूर्व प्रभावी उपविधियॉ स्वतः समाप्त हो जायेगी।

11. निम्नलिखित कर से मुक्त रहेगें:–

क)–मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, इमामबाडा, दरगाह, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि तथा खैराती संस्थाएं सिवाय वह भाग जो किराये पर चल रही हों।

ख)– नगर पंचायतों के कर्मचारियों की इमारतें जिनमें वह स्वंय रहते हैं।

ग)– भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत भारतीय सैनिकों को भवन कर से मुक्त रखा जायेगा। किन्तु यह छूट उन्ही भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत भारतीय सैनिकों को दी जा सकेगी, जिनके अपने नाम भवन/सम्पत्ति शासकीय अभिलेखों में दर्ज होगी। निजी उपयोग के अतिरिक्त व्यवसायिक गतिविधि हेतु किराये पर दिये गये भवन पर नियमानुसार भवन कर आरोपित होगें। जिसमें कोई छूट नही होगी।

भवन–कर हेतु क्षेत्र विवरण

भवन कर निर्धारण हेतु पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के लिये प्रयोज्य मानक बनाये गये जो निम्नवत हैं:–

1.प्रदत्त सुविधायें

2.भवन की प्रायोगिक स्थित यथा मानसिक रुप से विक्षिप्त/विकलांग अथवा अन्य प्रकार के समस्याग्रस्त अन्तोदय/बी0पी0एल0 परिवार। उक्त मानक नगर पंचायत गूलरभोज के समस्त वार्डों पर लागू होगें।

1.शहरी क्षेत्र–नगर पंचायत गूलरभोज के समस्त 4 वार्ड।

दण्ड प्राविधान

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत गूलरभोज जनपद ऊधमसिंह नगर यह आदेश देती हैं कि उपर्युक्त नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो 1000/–एक हजार तक हो सकता हैं और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा हैं। 50/–पचास रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

03 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 358/गजट/2017–18–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत गूलरभोज (जिला ऊधमसिंह नगर) द्वारा उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 1847/9–9–97–23–ज/97, दिनांक 09 जून, 1997 द्वारा संयुक्त लाइसेंस प्रचलित करने हेतु बनायी गई उपविधि के अनुसार नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) च, छ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पंचायत सीमान्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियंत्रित एवं विनियमन करने के उद्देश्य से एक संयुक्त लाइसेंस उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं, से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत, गूलरभोज (जिला ऊधमसिंह नगर) के नाम से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्रेषित की जा सकती है। नियत अवधि के उपरान्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधियाँ

1. परिभाषा–किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर:–
   (क) यह उपविधि नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेंगी।
   (ख) प्रशासक/उप जिलाधिकारी का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज के प्रभारी अधिकारी से है।
   (ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज के अधिशासी अधिकारी से है।
   (घ) नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा से तात्पर्य, नगर पंचायत की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।
   (ङ) इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत, गूलरभोज के अधिशासी अधिकारी, लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे।
2. यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमान्तर्गत अनुसूची "क" में दिये गये व्यवसायों हेतु लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
4. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमों के इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत, गूलरभोज के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष फरवरी प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो आगामी 01 अप्रैल से प्रभावी होगा।
5. प्रत्येक ऐसा निर्गत/प्राप्त लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होगा।
6. लाइसेंस अधिकारी को लाइसेंस निर्गत कराने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी, जो निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो, द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जाँच/संस्तुति करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।
7. लाइसेंस अधिकारी को अधिकार होगा कि लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व खान–पान की सामग्री से संबंधित व्यवसायिक दुकान अथवा फल–सब्जी, जो नित्यप्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो, कि स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ सामान व बर्तनों में रखे होंगे, जिसमें मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके।
8. कोई भी व्यक्ति, जो संक्रामक रोग से पीड़ित हो न तो स्वय व्यवसाय करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय से किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।
9. लाइसेंसिंग अधिकारी को इस उपविधि के अधीन खान–पान से संबंधित व्यवसायिक दुकानों, होटलों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली गन्दगी के लिए अथवा सड़ी–गली सब्जियों, फलों की दुकानों में रखने व विक्रय करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करने, अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा।

10. प्रत्येक व्यवसायी को चाहिए कि वह नगर पंचायत कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक ₹ 5 (पाँच रुपये) मूल्य का परिषद् कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर लाइसेंस हेतु आवेदन करें। लाइसेंस अधिकारी उस पर समुचित जाँच उपरान्त लाइसेंस निर्गत/नवीनीकरण के आदेश पारित करेंगे।

11. उपविधि में वर्णित किसी भी पैरा का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंस अधिकारी, लाइसेंसधारक के आवेदन–पत्र को उस समय तक लम्बित रख सकता है या निरस्त कर सकता है, जब तक कि ऐसे लाइसेंसधारक के आवेदककर्ता से इस उपविधि के अधीन सफाई, स्वच्छता, नित्यप्रति खान–पान से संबंधित व्यवस्था व सार्वजनिक प्रतिष्ठान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा जाँच करने पर संबंधित दुकानदार द्वारा निर्दिष्ट हिदायतों या सार्वजनिकहित में स्वच्छता आदि व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो।

12. उपविधि के अन्तर्गत खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों को दुकान से अगल–बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान/प्रतिष्ठान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त वस्तुएँ रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से अशोभनीय लगती हो।

13. उपविधि के अधीन लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार व्यक्ति को लाइसेंस न दिये जाने पर एक माह के अन्दर प्रशासन/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा।

14. लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण 31 मार्च तक नहीं करता है, तब उसे लाइसेंस शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लाइसेंस शुल्क का 50% प्रतिशत होगा।

15. कोई भी व्यक्ति लाइसेंसधारक अपना व्यवसाय समाप्त करेगा तो वह अपना लाइसेंस निरस्त कराने हेतु ₹ 5 मूल्य का परिषद् कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर औचित्य दर्शाते हुए आवेदन करेगा, जिस पर लाइसेंस अधिकारी दुकान/प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराकर लाइसेंस निरस्त करेगा।

16. इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व स्वीकृत उपविधि में उल्लिखित व्यवसायों/उद्यमों आदि से संबंधित पूर्व लाइसेंस दरें स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उनके स्थान पर निम्न अनुसूची "क" में उल्लिखित दरें लागू होगीः–

नगर पंचायत, गूलरभोज (जिला ऊधमसिंह नगर)

अनुसूची (क)

क्र0 सं0	विवरण	स्वीकृत दरें
1	2	3
	होटल, रेस्टोरेन्ट	
1.	होटल लॉजिंग तथा गेस्ट हाउस 01 से 10 तक शैय्या	2,000.00
	11 से 20 तक	4,000.00
	20 से 30 तक	6,000.00
2.	नर्सिंग होम 20 बैड तक	2,000.00
3.	नर्सिंग होम 20 बैड से ऊपर ₹ 50/– प्रति बैड	5,000.00
4.	प्राइवेट अस्पताल	3,000.00
5.	पैथालॉजी सेन्टर	1,000.00
6.	एक्स–रे क्लीनिक	1,000.00
7.	डेन्टल क्लीनिक	1,000.00
8.	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00

1	2	3
	परिवहन	
9.	आटो रिक्शा दो सीटर	500.00
10.	आटो रिक्शा चार सीटर	500.00
11.	आटो रिक्शा सात सीटर(टैम्पो)	1000.00
12.	बैट्री चालित ई–रिक्शा	300.00
13.	मिनि बस/मैजिक	2000.00
14.	बस	2500.00
15.	तांगा	100.00
16.	रिक्शा (मानव चालित)	100.00
17.	रिक्शा पोलर	100.00
18.	ठेला/ठेली	100.00
19.	हाथ ठेला	100.00
20.	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	100.00
21.	ट्राली–ट्रेक्टर–व्यवसायिक(कृषि सामग्री छोडकर)	100.00
22.	अन्य चार पहियों के भारी वाहन(जुगाडू व अन्य) (व्यापारिक उपयोग हेतु सभी वाहन)	1000.00
	अन्य व्यवसाय	
23.	धुलाई गृह (लान्ड्री)	250.00
24.	ड्राई क्लीनर	500.00
25.	फाईनेन्स कम्पनी चिटफन्ड	3000.00
26.	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	6000.00
27.	फाउन्डिंग इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीयल	1200.00
28.	पशुवध (स्लाटर हाउस)	50/–प्रति पशु प्रतिदिन
29.	हड्डी खाल गोदाम	1000.00
30.	वार वियर	6000.00
31.	आइस फैक्ट्री	1000.00
32.	बिल्डर्स रजिस्टर्ड	5000.00
33.	देशी शराब प्रति दुकान	6000.00
34.	विदेशी शराब प्रति दुकान	12000.00
35.	भैंसा मांस की दुकान	300.00
36.	बकरा मांस की दुकान तथा अन्य मांस दुकान	500.00
	मछली मांस विक्रेता	500.00
	अन्डा मुर्गा/मछली विक्रेता	1000.00
	पशु पालन	
37.	प्रति पशु	10.00
38.	कांजी हाउस में अन्य जानवरों पर जुर्माना	500.00
39.	प्रतिदिन खुराक छोटे जानवर (बकरी आदि)	10.00
40.	प्रतिदिन खुराक बड़े जानवर (भैंस घोड़ा आदि)	250.00

1	2	3
41.	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक(आयल कं.)	2000.00
42.	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	1000.00
43.	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	500.00
44.	परचून की दुकान	500.00
45.	हलवाई की दुकान (मिठाई,नमकीन,चाय)	500.00
46.	भोजन (भोजनालय)	500.00
47.	होटल ठहरने व्यवस्था (जहां यात्री ठहरते हो प्रति कमरा)	1000.00
48.	इमारती लोहो की दुकान	1000.00
49.	इमारती लकड़ी की दुकान	1000.00
50.	जूते बिक्री की दुकान	500.00
51.	फुटकर गल्ला विक्रेता	300.00
52.	बर्तन की दुकान	500.00
53.	कपड़े की दुकान(थोक)	600.00
54.	कपड़े की दुकान(फुटकर)	400.00
55.	सोने,चाँदी के आभूषणों की दुकान	600.00
	सोने,चाँदी के आभूषणों की मरम्मद	400.00
56.	पुस्तक कापी व स्टेशनरी की दुकान	400.00
57.	मेडिकल स्टोर	500.00
58.	चाय,लस्सी पेय एवं अन्य पदार्थ	500.00
59.	बीड़ी सिगरेट पान व तम्बाकू की दुकान	250.00
60.	पैट्रोल पम्प(प्रति पम्प)	3000.00
	डीजल पम्प(डीजल)	2000.00
61.	साईकिल बिक्री व पार्ट्स बिक्री	500.00
62.	साईकिल मरम्मद की दुकान	250.00
63.	विसातखाने की दुकान	250.00
64.	कृषि उपकरणों की दुकान	500.00
65.	बिजली के सामान की दुकान	500.00
66.	खाद्य तेल की दुकान(कोल्हू)	500.00
67.	कृषि खाद तथा पेस्टीसाइड्स की दुकान	500.00
68.	गल्ले के थोक व्यापारी	1500.00
69.	इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी	2000.00
70.	लकड़ी फर्नीचर के व्यावसायी	500.00
71.	मोटर मरम्मद एवं अन्य वाहन (जहां पर किसी शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग न हो)	300.00
72.	ईधन जलाने की लकड़ी के व्यापारी(लकड़ी टाल)	500.00
73.	पम्पिंग सेट के मरम्मदकर्ता	300.00

1	2	3
	74. चाय की दुकान	250.00
	75. लाउडस्पीकर किराये पर देने व विद्युत सामान रिपेयरिंग	500.00
	76. बारबर	250.00
	77. डीजल मोबिल ऑयल तथा उनसे बने पदार्थों के विक्रेता	500.00
	78. खल बिनौली आदि की दुकान	500.00
	79. दूध के विक्रेता/खोया बनाने की भट्ठी या दुकान	1000.00
	80. सीमेंट की दुकान	500.00
	81. दूध डेयरी व घी, मक्खन मलाई विक्रेता	1000.00
	82. लोहार की दुकान	250.00
	83. बढ़ई की दुकान	250.00
	84. हार्डवेयर की दुकान	500.00
	85. सब्जी की दुकान	250.00
	86. फल की दुकान	500.00
	87. पी.सी.ओ.	300.00
	88. सर्विस स्टेशन	1000.00
	89. धर्म काटा	2000.00
	90. ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	1500.00
	91. मछली	1000.00
	92. मुर्गा पालन(पोल्टी फार्म)	2500.00
	93. सुअर पालन	1500.00
	94. ठेकेदार किसी भी तरह का कार्य करने वाला	1500.00
	95. रेता,बजरी,प्रतिघाट	2500.00
	96. रेता,बजरी फुटकर में बेचने पर	1000.00
	97. ईट फुटकर में बेचने पर	500.00
	98. सिनेमा हाल/वीडियो हाल	50.00प्रति शो
	99. सर्कस एक स्थान पर (एक बार के लिए)	2500.00
	100. फुल एवं पौधों की नर्सरी	500.00
	101. स्टोन क्रेशर	10,000.00
	102. सब्जी की दुकान आढत	1000.00
	103. डिश कनैक्शन के वितरणकर्ता	500.00
	104. अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो उक्त सूची मे न हो	250.00
	नये व्यवसाय	
	105. गैस एजेंसी(प्रदिवेट सिलैण्डर)	1000.00
	106. लकडी फर्नीचर शोरूम	1000.00
	107. मोबाईल टावर (प्रति कम्पनी)	5000.00
	108. जिम	1000.00
	109. खेल का सामान	500.00
	110. कम्प्यूटर सेल एण्ड शोरूम	1000.00
	111. कम्प्यूटर सर्विस	500.00

1	2	3
112.	वाहन फिल्टर(इलैक्ट्रानिक)	500.00
113.	वाहन फिल्टर साधारण	300.00
114.	लडके–लडकियों का हॉस्टल (प्रति रूम)	1000.00
115.	कम्प्यूटर स्क्रीन पेन्टिंग व साइन बोर्ड	600.00
116.	रूई धुनाई की दुकान	250.00
117.	फेरी (सामान्य मिश्रित)	250.00
118.	बैंकैट हॉल, मैरिज हॉल	5000.00
119.	शोरूम दो पहिया वाहन	1000.00
120.	शोरूम तीन पहिया वाहन	3000.00
121.	शोरूम चार पहिया वाहन	5000.00
122.	बुटीक	300.00
123.	मार्बल/संगमरमर पत्थर/टाईल्स दुकान	1000.00
	कटिंग मशीन के साथ	1500.00
124.	जूस सेन्टर	250.00
125.	कचरी मिल	600.00
126.	अण्डे के थोक व्यापारी	600.00
127.	अण्डा फुटकर	250.00
128.	सैनेट्री स्टोर	500.00
129.	गन्ने का जूस विक्रेता(छोटा कोल्हू)	250.00
130.	घडी रेडियो टेप टेलीविजन आदि	250.00
131.	फेरी दो पहिया वाहन द्वारा	250.00
	फेरी चार पहिया वाहन द्वारा	500.00
132.	शराब के गोदाम(वेयर हाउस)	
	अग्रजी	25,000.00
	देशी	20,000.00
	बीयर	15,000.00
133.	कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी	3000.00
134.	मिनरल वॉटर थोक	500.00
135.	पॉलीहाउस प्रति (फलोरी कल्चर, नर्सरी)	500.00
136.	दुकान गिफ्ट आदि	500.00
137.	रेता बजरी स्टॉकिस्ट	500.00
138.	टूर एण्ड ट्रेवल ऐजेन्सी	1500.00
139.	निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 से 5 तक	1000.00
	कक्षा 6 से 8 तक	2000.00
	कक्षा 9 से 10 तक	3000.00
	कक्षा 11 से 12 तक	5000.00
	इन्जीनियरिंग कालेज/मेडिकल कालेज, बी0बी0ए,	
	बी0एड0,अन्य डिप्लोमा डिग्री कोर्स	10,000.00

1	2	3
140.	आभूषण मरम्मत	300.00
141.	पेईंग गेस्ट प्रति रूम	1000.00
142.	ब्यूटी पार्लर	250.00
143.	टायर विक्रेता	500.00
144.	गन हाउस	1000.00
145.	ग्लास स्टोर	5000.00
146.	पटाखों का फुटकर	500.00
147.	पटाखों के थोक विक्रेता	1000.00
148.	फड व्यवसायी प्रति दिन के प्रतिफड/प्रति वर्ष	500.00
149.	बर्फ की सिल्ली विक्रेता	500.00
150.	डाम/जलाशय के मछली विक्रेता(यदि शहर से गुजरते है)	10,000.00
151.	डिस्पोजल सामग्री विक्रेता	500.00
152.	प्रिन्टिंग प्रेस जिसमें तीन कर्मचारी तक हो	1000.00
	प्रिन्टिंग प्रेस जिसमें पॉच कर्मचारी तक कार्यरत हो	1500.00
153.	कबाड के गोदाम एक स्थान पर जमा करना	
	छोटा गोदाम	1000.00
	बडा गोदाम	2500.00
154.	एल्युमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान	
	सामान पर/विक्रेता	1000.00
155.	होम एपलाईन्सेज(टी0वी0 फ्रीज शोरूम इत्यादि)	2000.00
156.	जॉब वर्क	3000.00
157.	पूराने दो पहिया वाहन विक्रेता ओटो डीलर	1500.00
	पूराने चार या चार पहिया से अधिक के वाहन	2500.00
158.	पतंजली उत्पाद विक्रेता	500.00
159.	प्ले स्कूल	1000.00

दण्ड

यू0पी0 म्युनिस्पैलटिज एक्ट 1916 की धारा 299(1) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर रु0 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा। यदि समयान्तर्गत लाईसैन्स धारक ने लाईसैन्स प्राप्त नहीं किया और उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रति दिन 25.00 रू0 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा अर्थ दण्ड वसूलने के विरोध में लाईसेन्स प्राप्त कर्ता को अपनी व्यक्तिगत परेशानी/विपदा व दुकान कालिक समय तक के लिये दुखः सुख की व्यवस्था में बन्द पडी रहने की दशा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे मामलों में वह अपने विवेक से ऐसे लाईसैन्स धारकों से ऐसी परिस्थिति में दण्ड वसूलें या न वसूलें।

सार्वजनिक सूचना

03 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 358/गजट/2017–18–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत गूलरभोज, जनपद ऊधमसिंह नगर ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298, सूची (1) "ख" (क) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर सीमा अन्तर्गत प्रशासक स्वीकृति दिनाँक 10.07.2017 के अनुसार निर्माण कार्यों को कराये जाने के विनियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300(1) अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किए जा रहे हैं। विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, नगर पंचायत, गूलरभोज, जनपद ऊधमसिंह नगर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नियमावली/उपनियम

परिभाषाः–

1– यह उपनियम नगर पंचायत गूलरभोज जिला ऊधमसिंहनगर की सीमान्तर्गत एवं समस्त जिले के सीमान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों की नियमावली कहलायेगी।

2– नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज से है।

3– इस उपनियम के अन्तर्गत ठेकेदार शब्द से तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज में भवन/सड़क आदि निर्माण कार्यो एंव अन्य विकास निर्माण कार्यो के ठेके लेने हेतु अधिकृत पंजीकृत ठेकेदार से है ।

4– पंजीकरण अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज के अधिशासी अधिकारी/प्रशासक से है।

5– शासकीय इन्जीनियरिंग विभागों से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जलनिगम आदि अन्य समस्त शासकीय तकनीकी विभाग से है ।

6– राज्य का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य शासन से है।

7– यह कि नगर पंचायत गूलरभोज सीमा अन्तर्गत नगर पंचायत द्वारा सार्वजनिक भवन /सड़क/नाली/नाले/पुलियां अथवा अन्य किसी प्रकार के विकास हेतु निर्माण कार्य की निविदायें नगर पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया/प्रतिबन्ध इस नियमावली के शासकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त पंजीकरण हेतु तत्काल से प्रभावी होगें

8– यह कि बिना पंजीकरण के कोई भी ठेकेदार नगर पंचायत में किसी प्रकार की निविदा न तो क्रय कर सकेगा, और न ही निविदा डाल सकेगा और ना ही निर्माण कार्य सम्पादित कर सकेगा ।

9– यह कि नगर पंचायत में ठेकेदारों का पंजीकरण 3 श्रेणियों में होगा जैसा कि इस नियमावली के अनुलग्नक "क" में निम्न प्रकार निर्दिष्ट है:–

क्र. सं.	ठेकेदारों का वर्गीकरण	कार्य का मूल्य जिसकी निविदा ठेकेदार दे सकते हैं	हैसियत प्रमाण पत्र	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	स्थाई जमानत शुल्क धनराशि बचत पत्र के रूप में पालिका पक्ष में बन्धक होगी
1	2	3	4	5	6	7
1–	"ए" श्रेणी	समस्त निर्माण कार्य	15 लाख	5000/–	1500/–	25000/–
2–	"बी" श्रेणी	5 लाख रू0 तक	10 लाख	4000/–	1000/–	10000/–

		के निमार्ण कार्य				
3–	"सी" श्रेणी	2 लाख तक के समस्त निर्माण कार्य	1 लाख	3000/–	500/–	5000/–

अनुलग्नक–(क)

पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन, हैसियत, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा स्थाई जमानत का विवरण जो निविदायें क्रय हेतु अधिकृत होंगे।

10– यह कि प्रत्येक नवीन पंजीकरण हेतु ठेकेदार फर्म को श्रेणी "ए" में आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने पर आवेदक को प्रथम श्रेणी "ए" के पंजीकरण हेतु रू0 5000/– बिना वापसी शुल्क पालिका निधि में पंजीकरण अधिकारी के आदेश उपरान्त जमा कराना होगा। तथा श्रेणी "बी" के नवीन पंजीकरण हेतु 4000/–रू0 तथा श्रेणी "सी" के नवीन पंजीकरण हेतु क्रमशः 3000/– रू0 प्रति पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होगे नवीन पंजीकरण हेतु केवल जिला ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत निवास करने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था ही आवेदन कर सकती है।

(1) स्थाई निवास प्रमाण–पत्र सम्बन्धित उपजिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया हुआ हो प्रस्तुत करना होगा ।

(2) ठेकेदार को कम से कम 5 वर्ष के कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग का प्रस्तुत करना होगा ।

(3) ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण–पत्र वर्तमान पते के अनुसार प्रस्तुत करना होगा जो ज़िला अधिकारी ऊधमसिंहनगर द्वारा प्रदत्त किया गया हो तथा जिसे प्राप्त किये हुऐ 6 माह से अधिक समय न हुआ हो ।

(4) ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त किया गया हो। जो कि 2 वर्ष से अधिक पुराना न हो।

(5) ठेकेदार को बिक्रीकर/आयकर कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) ठेकेदार का अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या व पास बुक की छाया प्रति एवं बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

(7) यह कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में श्रेणी 'ए' के पंजीकृत ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नगर पंचायत निधि में पंजीकरण अधिकारी के नवीनीकरण के किये जाने के आदेश उपरान्त रूपया 500/– (पॉच सौ रूपये) नवीनीकरण शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी तथा श्रेणी 'बी' के पंजीकृत ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नवीनीकरण के आदेश उपरान्त रूपया 300/– (तीन सौ रूपये) नवीनीकरण शुल्क तथा श्रेणी 'सी' के पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण हेतु रूपये 200/–(दो सौ रूपये) प्रति नवीनीकरण वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। उक्त समय अवधि तक नवीनीकरण न कराने पर ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। नवीनीकरण शुल्क बिन्दु संख्या–9 की तालिकानुसार लिया जायेगा।

(8) स्थाई जमानत शुल्क कालम 7 को 5 वर्ष बाद बदल कर पुनः देय होगा।

11– ठेकेदारी पंजीकरण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् नवीन प्रार्थना पत्र 1 मार्च से 15 मार्च तक दिया जायेगा। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

12– किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने, पंजीकृत ठेकेदार को सन्तोषजनक कार्य न करने पर ब्लेक लिस्ट करने का अधिकार पी0डब्लू0डी0 की आख्या व जे0ई0 की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में निहित होगा।

13– नवीन पंजीकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार को अनुलग्नक 'ख' के प्रारूप पर ठेकेदारी पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। जो नियमानुसार होगा।

अनुलग्नक ख

कार्यालय नगर पंचायत गूलरभोज ऊधमसिंहनगर।

ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र–प्रारूप

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मैं .....पुत्र श्री.....निवासी..... .....का इस नगर पंचायत में श्रेणी .....के ठेकेदारी निर्माण कार्य हेतु पंजीकरण किया गया, यह पंजीकरण 1 अप्रैल .....से 31 मार्च .....तक के लिये वैध होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गूलरभोज

14. पंजीकृत किये गये किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, समिति आदि को निम्न लिखित किसी भी कारण से ठेकेदारों की सूची से पृथक कर दिया जायेगा। ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित ठेकदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।

(1) कार्य स्वीकृति के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में।
(2) टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त कार्य समय से आरम्भ न करने की दशा में।
(3) पर्याप्त मूलधन, तकनीकी कर्मचारी व आवश्यक उपकरणों के अभाव की स्थिति में।
(4) किसी अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने की स्थिति में।
(5) किसी भी प्रकार की मानसिक असक्षमता, (पागलपन) की स्थति में।

15– कार्य निर्धारित मानकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित अवधि अथवा बढाई गयी समय अवधियों के उपरान्त भी पूर्ण न किये जाने की दशा में ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी पंजीयन जमानत भुगतान किये गये बिल से काटी गयी जमानत की एवं धरोहर धनराशि को भी जब्त कर लिया जायेगा। इस हेतु अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

16– ऐसे निर्माण कार्य के ठेकेदार जो निर्माण कार्यो को ठेका अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सब्लेट हस्तान्तरित करते पाये जायेगें, उनका पंजीकरण निरस्त करने तथा उनका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम रूप से स्वीकार होगा।

17– कार्य हेतु निर्धारित अवधि को विशेष परिस्थितियों में दो बार अधिकतम बढाया जा सकेगा। प्रथम बार स्वविवेक से समयावधि अधिकतम एक माह तक बढा सकते हैं। इसके उपरान्त समयावधि बढाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी सक्षम होगें, परन्तु बढाई जाने वाली अवधि किसी भी दशा में तीन माह से अधिक न होगी। यह कार्य की प्रकृति एंव परिस्थितियों पर आधारित होगा। जिसको करवाने वाले अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के प्रार्थना पत्र में अंकित किया जावेगा। कार्य समय से पूर्ण न होने पर एक प्रतिशत की दर से शेष बचे कार्य के अनुसार अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रति दिन की दर के अनुसार अर्थ दण्ड लगाया जायेगा। जो कि भुगतान के साथ तब काटा जायेगा जब ठेकेदार नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा नहीं करता है।

18– ठेकेदार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्धारित मानकों एंव प्रतिमानों के अन्तर्गत इस कार्य में भी कार्य करना होगा।

19– इस उपनियम के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व की ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन की सभी व्यवस्थायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

20– यह उपनियम उत्तराखण्ड गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

21– नगर पंचायत गूलरभोज के कार्यालय में उक्त कार्य हेतु एक रजिस्टर होगा जिसमें समस्त पंजीकृत ठेकेदारों का विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित होगा।

22– अगले वित्तीय वर्ष के लिये उन्ही ठेकदारों का नवीनीकरण किया जायेगा जिन्हें निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी होगा।

23– यदि कम संख्या 22 पर नोटिस जारी होता हे तो ठेकदार को एक माह में नोटिस का निस्तारण कराना होगा।

24– नोटिस का निस्तारण न कराने पर कम संख्या 15 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

रजिस्टर का प्रारूप

क्र0. सं0	ठेकेदार का नाम पंजीकरण हेतु स्वीकृति	पंजीकरण की श्रेणी	पंजीकरण की शुल्क धनराशि	एफ.डी.आर/ एंन.एस.सी.		पंजीकरण तिथि	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण रसीद		रिमार्क का वर्ष
				नम्बर	दिनांक			नम्बर	दिनाँक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सार्वजनिक सूचना

03 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 358/गजट/2017–18–सर्वसाधारण को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन–शहरी विकास अनुभाग–3, की अधिसूचना संख्या 1564/IV(3)/2015–03(घो0)/2015 देहरादून, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के द्वारा नव गठित नगर पंचायत, गूलरभोज के सृजन के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 267, 276 के अन्तर्गत एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम–2000(1999) एवं भारत के राज पत्र (गजट/अधिसूचना सं0 861), 08 अप्रैल, 2016 (संशोधित) अधिनियम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, भारत के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत लोक सुरक्षा, सुविधा एवं नियंत्रण के उद्देश्य से नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम–2000(1999)/2016 के अधीन रहते हुए, नियमावली के अधीन रहते हुए, नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमान्तर्गत घर से घर तथा प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान तक कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण के एवज में उपभोक्त फीस/सेवा शुल्क/यूजर चार्जेज को अधिरोपित किये जाने हेतु उपभोक्त फीस/सेवा शुल्क/यूजर चार्जेज कूड़ा एकत्रीकरण" उपविधि/नियमावली बनाये जाने हेतु नगर पंचायत, गूलरभोज के प्रशासक/उपजिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन दिनांक 10.07.2017 के अनुसार नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ–साथ कूड़ा–कचरा निस्तारण एवं उपचार तथा गन्दगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/नाली, सड़क/खडंजा, गली में कूड़ा–कचरा फेकनें), व्यक्तियों, नागरिकों, व्यवसायियों, दुकानदारों पर कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण के एवज में उपभोक्त फीस/सेवा शुल्क/यूजर चार्जेज बनाये जाने हेतु उपविधि बनाते हैं। जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों/व्यापारियों/उद्यमियों/नागरिकों/शैक्षिक संस्थाओं/सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा रही है।

अतः, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर–अन्दर प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत, गूलरभोज के नाम से कार्यालय नगर पंचायत, गूलरभोज में अपनी आशेप/सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधि

1. परिभाषाएँ–जो नगर पंचायत, गूलरभोज से सम्बन्धित है। यह कि–

(1) यह उपविधि–नगर पंचायत, गूलरभोज की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ–साथ कूड़ा–कचरा निस्तारण एवं उपचार हेतु घर से घर तक एवं प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान तक कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण के एवज में उपभोक्त फीस/सेवा शुल्क/यूजर चार्जेज को अधिरोपित किये जाने हेतु उपभोक्त फीस/सेवा शुल्क/यूजर चार्जेज, कूड़ा एकत्रीकरण उपविधि/नियमावली कहलायेगी:–

(क) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 उत्तराखण्ड (यू0पी0) म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916, अध्यादेश 2002 से है।

(ख) नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा से तात्पर्य–नगर पंचायत, गूलरभोज के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गूलरभोज से है।

(घ) अध्यक्ष–अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी–उपजिलाधिकारी/प्रशासक–जिलाधिकारी से हैं।

(ङ) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य, नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के सदन से है।

(च) दण्डाधिकारी–दण्डाधिकारी अधिकारी का तात्पर्य, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

2. नगर पंचायत, गूलरभोज की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कूड़ा–कचरा निस्तारण एवं उपचार के लिए घर से घर तथा प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान तक कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण के एवज में उपभोक्त फीस/सेवा शुल्क/यूजर चार्जेज नियमावली/उपविधि–2017 के अन्तर्गत निकाय के कार्मिक/पर्यावरण मित्र/अधिकृत व्यक्ति/संस्था को कूड़ा–कचरा न देने तथा सफाई व्यवस्था में अड़चन/विघ्न डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, नागरिकों, व्यवसायियों, दुकानदारों, संस्थाओं पर जुर्माना आरोपित करने हेतु, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, पर लागू होगी।

3. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत नगर पंचायत, गूलरभोज की सम्पूर्ण सीमा में निवासरत नागरिकों, व्यक्तियों एवं दुकानदार, व्यवसायियों, उद्यमियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय, भारत, दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों एवं व्यवस्थाओं के तहत घर से घर तथा प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान तक कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण के एवज में उपभोक्त फीस/सेवा शुल्क/यूजर चार्जेज नियमावली/उपविधि–2017 का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम आदि से उत्पन्न कूड़े–कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

5. इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम आदि के कूड़े–कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों में पृथक्–पृथक रूप से जैविक तथा अजैविक कूड़ा–कचरा रखना होगा। जैविक कूड़ेदान के अन्दर बचा हुआ खाना, साग, सब्जी, फल के अवशेष तथा सड़ने/गलने वाली, जैसे–गत्ता, कागज, कपड़े आदि चीजे रखे जायेंगे। अजैविक कूड़ेदान में प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्माकोल व अगलनशील वस्तुएँ, जैसे–काँच, लोहा व अन्य चीजे आदि रखनी होगी।

6. इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम आदि के कूड़े–कचरे को नगर पंचायत के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक को नियंत्रण हेतु हस्तगत दोनों प्रकार के कूड़ेदानों को करना होगा।

7. इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूड़े–कचरे को नगर पंचायत, गूलरभोज की सार्वजनिक सड़क, खड़ंजा, गली, नाला, नाली में डालना प्रतिशोध रहेगा।

8. इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम आदि के कूड़े–कचरे को, यदि घर–घर से, प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान तक नगर पंचायत, गूलरभोज के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक/स्वयंसेवी संस्था द्वारा कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण किया जाता है तो निकाय द्वारा उपभोक्त फीस (यूजर चार्जेज) के रूप में मासिक शुल्क वसूला जायेगा। जिसकी दरें अग्रसारित हैं:–

क्रम सं0	नाम	मासिक शुल्क	क्रम सं0	नाम	मासिक शुल्क
1.	प्रति घर से कूड़ा एकत्रीकरण	₹ 30 प्रति माह	9.	होटल, 10–20 बैड तक	₹ 2000 प्रति माह
2.	किसी भी प्रकार की दुकान से कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण	₹ 50 प्रति माह	10.	सब्जी/फल की दुकान	₹ 100 प्रति माह
3.	होटल खाना (भोजनालय)	₹ 50 प्रति माह	11.	सब्जी/फल की आढ़त	₹ 300 प्रति माह
4.	चाय की दुकान	₹ 50 प्रति माह	12.	बढ़ई/कारपेन्टर की दुकान	₹ 200 प्रति माह
5.	मिठाई की दुकान	₹ 50 प्रति माह	13.	कारखाना/वर्कशॉप	₹ 200 प्रति माह
6.	रेस्टोरेन्ट	₹ 100 प्रति माह	14.	चक्की फ्लोर मिल/मसाला फैक्ट्री	₹ 200 प्रति माह
7.	बैंकट हाल/बारात घर	प्रति कार्यक्रम ₹ 500 प्रतिदिन	15.	नर्सिंग होम/प्राइवेट अस्पताल	₹ 300 प्रति माह
8.	होटल 1–10 बैड तक	₹ 1000 प्रति माह			

10. इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम आदि का कूड़ा–कचरा के एवज में उपभोक्त फीस (यूजर चार्जेज) देने की स्थिति में सम्बन्धित/उपभोक्ता के विरुद्ध इस उपविधि के अन्तर्गत दण्ड प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम आदि का कूड़ा–कचरा को नगर पंचायत द्वारा अधिकृत/कार्मिक/स्वयंसेवी संस्था को न देकर अत्र यत्र फेंकने पर ₹ 1000 मौके पर नकद आर्थिक दण्ड किया जा सकता है।

दण्ड प्राविधान

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अधीन तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम–2000(1999) एवं भारत के राजपत्र (गजट/अधिसूचना सं0–861), 08 अप्रैल, 2016 (संशोधित) अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर मु0 ₹ 5000.00 (पाँच हजार रुपए मात्र) तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा। उल्लघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में ₹ पाँच हजार दण्ड धनराशि के अतिरिक्त प्रतिदिन ₹ 25.00 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड लिया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा तथा उस पर होने वाले व्यय भार/हज–खर्च की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा। प्रतिवाद समझौता समाधान की स्थिति मे समझौता शुल्क के रूप में 2000 अतिरिक्त वाद शुल्क देना होगा। न्यायालय क्षेत्र, जिला ऊधमसिंह नगर होगा।

03 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 358/गजट/2017-18--शासकीय विज्ञप्ति संख्या 697/23-197, दिनांक 04 मई, 1972 में प्रकाशित उपनियमों की दरों में संशोधित दरों का प्रकाशन शासकीय विज्ञप्ति संख्या-392/153/23-स्था0नि0(85-86), दिनांक 24 मई, 1986, जिसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश शासकीय गजट दिनांक 30 अगस्त, 1986 ई0, नगर पंचायत, गूलरभोज (जिला ऊधमसिंह नगर) के द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत हाटबाजार-पैंठ तथा दैनिक तहबाजारी के नियंत्रण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) ई0बी0 के तहत निम्न संशोधित नवीन उपविधि को नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300(1) के अन्तर्गत सर्वसम्बन्धितों को यह सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो इस उपविधि के समाचार-पत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत, गूलरभोज/उपजिलाधिकारी, गदरपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति एवं सुझाव पर कोई भी विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपविधियाँ

1. परिभाषाएँ :

(क) दैनिक तहबाजारी का अर्थ उस शुल्क से है, जो नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमान्तर्गत सड़कों, सड़कों के किनारे भूमि तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों, गलियों तथा खुले स्थानों तथा नालों आदि का अस्थायी उपयोग करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति/उपयोगकर्ता से नगर पंचायत, गूलरभोज द्वारा ली जायेगी।

(ख) साप्ताहिक हाट बाजार:-पैंठ का अर्थ सप्ताह में निर्धारित दिवस को एक या अधिक दिवसों को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर लगने वाले साप्ताहिक हाटबाजार से है। जिसकी वसूली दैनिक तहबाजारी की भाँति निर्धारित दरों पर केवल सप्ताह में लगने वाले बाजार दिवसों में ही की जायेगी।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज के प्रभारी अधिकारी से है।

(ङ) पंचायत का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज की पंचायत बोर्ड से है।

(च) ठेकेदार का तात्पर्य, विशेष रूप से उस ठेकेदार से है, जिसके नाम विधिवत् ठेका नीलाम उस वर्ष हेतु हुआ है।

(छ) वसूली अभिकर्ता का तात्पर्य, उस व्यक्ति से है, जिसे ठेकेदार द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार नीलामी ठेका वसूली के लिए एजेन्ट के रूप में अधिकृत किया गया हो, से है।

2. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा के अन्तर्गत दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार-पैंठ का निर्धारित शुल्क का भुगतान पंचायत/ठेकेदार को किये बिना सार्वजनिक मार्गों, जिनमें मोटर मार्ग तथा गलियाँ सम्मिलित हैं तथा किसी वस्तुओं सार्वजनिक स्थल पर प्रयोग तब तक नहीं कर सकते है, जब तक कि उसके शुल्क की अदायगी नियमानुसार न कर दी गई हो।

3. दैनिक तहबाजारी व साप्ताहिक बाजार–पैंठ लगाने वाले किसी भी दुकानदार की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वह अनावश्यक रूप से गन्दी अथवा आपत्तिजनक वस्तुओं को नहीं रखेगा और गन्दगी उत्पन्न करने वाले पदार्थों का फैलाव तथा बिखराव सीमित रखेगा। पॉलीथीन, प्लॉस्टिक तथा इससे निर्मित अन्य वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा। दैनिक तहबाजारी व साप्ताहिक हाटबाजार, दुकानदार को प्रत्येक दशा में सांयकाल में अनिवार्य रूप से निर्धारित स्थल/फड़ खाली करना होगा। साथ ही अपना निर्धारित फड़/स्थल की समुचित सफाई करनी होगी।

4. दैनिक तहबाजारी एवं साप्ताहिक हाटबाजार–पैंठ की निर्धारित शुल्क दरों से अधिक कोई भी ठेकेदार वसूली नहीं करेगा और नियमानुसार शुल्क की रसीद भी दी जायेगी।

5. नगर पंचायत द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार–पैंठ की एक मुश्त वसूली का ठेका प्रत्येक एक वर्ष (वित्तीय वर्ष) तथा एक वर्ष से कम अवधि तक के लिए आम नीलामी द्वारा ठेके पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जा सकता है।

6. दैनिक तहबाजारी एवं साप्ताहिक हाटबाजार–पैंठ की निर्धारित शुल्क वसूली के लिए जो ठेकेदार द्वारा अथवा पंचायत कर्मचारियों द्वारा निर्गत की जाने वाली रसीद शुल्क दावा द्वारा किसी भी प्रकार के स्वामित्व एवं कब्जेदारी, अवैध अतिक्रमण साक्ष्य, विवाद के लिए मान्य नहीं होगी। केवल शुल्क भुगतान होने अथवा न होने तक ही वैध मानी जायेगी।

7. सार्वजनिक स्थल का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज सीमा के अन्तर्गत समस्त सड़कों, मार्गों, फुटपाथों, गलियों, चौराहों, नाले, नालियों, खाई, खंतीयों, पार्कों, बस स्टैण्ड, खाली भूमि, मैदान इत्यादि जगहों से है। भले ही वे नगर पंचायत के निजी स्वामित्व की न हो।

8. नगर पंचायत द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार–पैंठ की वसूली के लिए निम्नांकित शुल्क/दरें निर्धारित की जाती है:–

क्र0 सं0	नाम मद	दरें
1	2	3
1.	विसात खाना, दुकान (10×10 तक)	150/प्रतिफड़
2.	विसात खाना, दुकान (5×5 तक)	50/प्रतिफड़
3.	साग, सब्जी/फल की दुकान (10×10 तक)	100/प्रतिफड़
4.	साग सब्जी/फल की दुकान (5×5 तक)	25/प्रतिफड़
5.	कपड़ा विक्रेता (10×10 तक)	200/प्रतिफड़
6.	कपड़ा विक्रेता (5×5 तक)	100/प्रतिफड़
7.	रेडीमेट कपड़े की दुकान (10×10 तक)	100/प्रतिफड़
8.	रेडीमेट कपड़े की दुकान (5×5 तक)	50/प्रतिफड़
9.	ठेली ठेला, रेढ़ी	50/प्रतिरेड़ी
10.	आइसक्रीम विक्रेता ठेला	25/प्रति ठेली
11.	चाट, पकोड़ी, चाट दुकान (10×10 तक)	100/
12.	चाट, पकोड़ी, चाट दुकान (5×5 तक)	50/

1	2	3
13.	चाय ठेली	25/प्रतिठेली
14.	परचूनी फुटकर दुकान (10×10 तक)	150/
15.	परचूनी थोक विक्रेता (10×10 तक)	200/
16.	परचूनी थोक विक्रेता (5×5 तक)	50/
17.	बकरा मीट विक्रेता 4×6 फड़	100/प्रतिफड़
18.	मुर्गा, अण्डा विक्रेता 4×6 फड़	100/प्रतिफड़
19.	मछली विक्रेता 4×6 फड़	100/प्रतिफड़
20.	फेरी, जैसे–गुब्बारा, खिलौना	25/प्रतिफड़
21.	मिठाई–जलेबी, पेठा, गुड़ आदि	50/प्रतिफड़
22.	गल्ला क्रेता/विक्रेता	100/प्रतिफड़
23.	तरबूज, खरबूजा फड़ (10×10 तक)	100/प्रतिफड़
24.	तरबूज, खरबूजा फड़ (5×5 तक)	50/प्रतिफड़
25.	बरतन विक्रेता फड़ (10×10 तक)	100/प्रतिफड़
26.	बरतन विक्रेता फड़ (5×5 तक)	50/प्रतिफड़
27.	बारबर	25/प्रतिफड़
28.	मोची	25/प्रतिफड़
29.	लोहार	100/प्रतिफड़
30.	गन्ने का रस एवं जूस विक्रेता	50/प्रतिफड़
31.	आचार, मुरब्बा विक्रेता	100/प्रतिफड़
32.	रेवड़ी, गजक आदि विक्रेता	100/प्रतिफड़
33.	मिर्च, मसाला फड़ (10×10 तक)	100/प्रतिफड़
34.	मिर्च, मसाला फड़ (5×5 तक)	100/प्रतिफड़

शास्ति

नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अधीन उपरोक्त उपविधि का दुकानदार/व्यवसायिक/फड़, कब्जेदार द्वारा किसी भी पैरा का उल्लंघन होने पर ₹ 1,000/–(रुपये एक हजार) मात्र तथा अर्थदण्ड दिया जा सकेगा। उल्लंघन निरन्तर जारी रखा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से ₹ 25/– (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

सार्वजनिक सूचना

03 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 358/गजट/2017–18–सर्वसाधारण को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन–शहरी विकास, अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 1564/IV(3)/2015–03(घो0)/2015 देहरादून, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के द्वारा नवगठित नगर पंचायत, गूलरभोज के सृजन के उपरान्त यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा के अन्तर्गत भवन नक्शा स्वीकृति नियमावली/उपविधि नगर एवं लोकहित/सुरक्षा/सुविधा नियंत्रण करने के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम, 1918 की धारा 148 पठित खण्ड–148/1 के उपखण्ड 148/2 के अन्तर्गत नगर पंचायत, गूलरभोज के प्रशासक/जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन दिनांक 10.07.2017 के अनुसार नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमान्तर्गत बनने वाले भवन/इमारत/दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/शॉपिंग काम्पलेक्स/होटल/गेस्ट हाउस/मोटल/सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन, कार्यालय अथवा धार्मिक भवन, धर्मशाला, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर निर्माण से पूर्व नगर पंचायत, गूलरभोज की अनुमति/नक्शा स्वीकृति लेने हेतु उपविधि, जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों/व्यापारियों/उद्यमियों/नागरिकों/सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा रही है।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर–अन्दर प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत, गूलरभोज के नाम से कार्यालय, नगर पंचायत, गूलरभोज में अपनी आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधियाँ

1. परिभाषाएँ–

(1) यह उपविधि–नगर पंचायत, गूलरभोज की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के बनने वाले भवन निर्माण सम्बन्धी, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। लोकहित/नगरहित/सुरक्षा/नियंत्रण करने हेतु भवन निर्माण नक्शा स्वीकृत उपविधि 2017–18 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(क) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1918 उत्तराखण्ड (यू0पी0) म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916, अध्यादेश 2002 से है।

(ख) नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा से तात्पर्य–नगर पंचायत, गूलरभोज के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गूलरभोज से है।

(घ) अध्यक्ष–अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी–उपजिलाधिकारी/प्रशासक–जिलाधिकारी से हैं।

(ङ) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य, नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के सदन से है।

(च) भवन निर्माण नक्शा स्वीकृति अधिकारी–भवन निर्माण नक्शा स्वीकृति अधिकारी का तात्पर्य, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

2. नगर पंचायत की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति भवन/इमारत/दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/शॉपिंग काम्पलेक्स/होटल/गेस्ट हाउस/मोटल/बारात घर/बैंकेट हाल/सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन, कार्यालय अथवा धार्मिक भवन, धर्मशाला, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि इस उपविधि के अन्तर्गत बिना अनुमति, भवन निर्माण नहीं कर सकेगा।

3. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण संबंधी नक्शा अधिकृत व्यक्ति/संस्था/फर्म के द्वारा बनवाये गये तथा तीन प्रमाणित प्रतियाँ ब्लू प्रिन्ट में प्रस्तुत करनी होगी।

4. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण करने हेतु उपयोग होने वाली भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्ट्री/खसरा खतौनी आदि की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। तत्पश्चात् भवन निर्माण नक्शा स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

5. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण करने हेतु उपयोग होने वाली भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, अभिलेख, न होने की दशा में भवन निर्माण नक्शा की स्वीकृति पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

6. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण करने हेतु उपयोग होने वाली भूमि के स्वामित्व के अतिरिक्त अतिक्रमित स्थान/स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने दिया जायेगा।

7. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण करने हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी/राजस्व/नगर पंचायत अथवा किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति/नक्शा स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। उक्त भवन निर्माण पूर्णतः अवैध माना जायेगा।

8. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को सार्वजनिक सड़क, खडंजा, नाली की सीमा से तीन फिट हटकर बनाना होगा। प्रस्तावित भवन निर्माण करने हेतु आवेदक को प्रस्तावित भवन निर्माण सम्बन्धी नक्शे में सार्वजनिक जल निकासी हेतु सार्वजनिक नाली/नाला अथवा व्यक्तिगत नाला/नाली अनिवार्य होगी। नक्शे में व्यक्तिगत शौचालय, सैप्टीक टैंक, रोशनदान एवं व्यक्तिगत कार पार्किंग की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सड़क, खडंजा, गली की ओर अधिकतम दो फिट छज्जा निकाल सकेगा। दो फिट के अतिरिक्त निर्माण किया गया छज्जा अतिक्रमण की परिधि में माना जायेगा। जिसको ध्वस्त किया जा सकता है।

9. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण कराने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण भूमि के क्षेत्रफलानुसार प्रति एक वर्ग फिट पर ₹ 5 नक्शा स्वीकृत शुल्क अर्थात् 10×10 फिट बराबर 100 वर्ग फिट×₹ 5 प्रति वर्ग फिट शुल्क दर अर्थात् ₹ 500 भवन निर्माण नक्शा शुल्क देना होगा। इस प्रकार भूमि की माप के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार भवन निर्माण नक्शा स्वीकृति शुल्क आधारित होगा।

10. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण अधिकतम तीन मन्जिल तक निर्माण कर सकेगा तथा प्रथम एवं द्वितीय मन्जिल निर्माण के कारपेट एरिया पर तीन रुपया प्रति वर्ग फिट अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसी प्रकार तृतीय मन्जिल भवन निर्माण करने पर तृतीय मन्जिल के कारपेट एरिया पर दो रुपया प्रति वर्ग फिट अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

11. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण करने हेतु यदि व्यवसायिक उपयोग हेतु बनाये जाने की स्थिति में भवन निर्माण नक्शा स्वीकृत शुल्क दो गुना हो जायेगा।

12. इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत भवन निर्माण करने वाले नागरिक/व्यक्ति को प्रस्तावित भवन निर्माण करने हेतु प्रस्तुत अभिलेख दस्तावेज अनाधिकृत/फर्जी पाये जाने पर अथवा वाद–विवादित की स्थिति में नक्शा स्वीकृति स्वतः ही अमान्य हो जायेगा तथा धोखा–धड़ी एवं फर्जी दस्तावेज देने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। दो पक्षों के बीच विवाद होने की स्थिति में किसी भी माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा।

दण्ड प्राविधान

यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 299(1) के अधीन इस उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर मु0 ₹ 5,000.00 (पाँच हजार रुपया मात्र) तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा। यदि समयान्तर्गत प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु मान्यता प्राप्त/अधिकृत फर्म/संस्था द्वारा बनवाये गये नक्शा प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से पाँच हजार रुपए दण्ड धनराशि के अतिरिक्त प्रति दिन ₹ 25.00 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा। साथ ही बिना नक्शा स्वीकृत/अनुमति के निर्माण करने पर किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्थ कर दिया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा तथा उस पर होने वाले व्यय भार/हर्जे–खर्चे की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा। प्रतिपक्षवाद समझौता समाधान की स्थिति में समझौता शुल्क के रूप में ₹ 2,000 अतिरिक्त वाद शुल्क देना होगा।

सार्वजनिक सूचना

03 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 358/गजट/2017–18–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, गूलरभोज, जनपद ऊधमसिंह नगर ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 तथा नगरपालिका अधिनियम, 128 में वर्णित उपधाराओं के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर सीमान्तर्गत अचल सम्पत्ति नामान्तरण/स्थानान्तरण (नाम परिवर्तन) पर कर लगाने सम्बन्धी नगरपालिका अधिनियम, 298 के अन्तर्गत उपविधि/उपनियम बनाये जाने के अधिकारों के प्रयोग करते हुए निर्णय लिया गया है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300(1) अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है, विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर उपजिलाधिकारी/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष, नगर पंचायत, गूलरभोज, जनपद ऊधमसिंह नगर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधियाँ

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, गूलरभोज दाखिल–खारिज (सम्पत्ती नाम परिवर्तन) उपविधि, 2017 कहलायेगी।

(ख) उक्त नियमावली लागू होने पर गृहकर नियमावली के नियम 5 (3) निरसन/स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ग) यह नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(घ) यह नगर पंचायत, गूलरभोज द्वारा प्रख्यापित किए जाने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ–

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में:–

(क) नगर पंचायत का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज से है।

(ख) सीमा का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गूलरभोज से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ङ) प्रशासक का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज के प्रशासक से है।

(च) अधिनियम का तात्पर्य, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका एक्ट, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 से है।

(छ) अभिलेखों का तात्पर्य, नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टरों आदि तथा भविष्य में कमेटी द्वारा तैयार किये गये खसरे व नक्शे, कर निर्धारण सूची एवं माँग वसूली व सम्पत्ति रजिस्टरों से है।

(ज) दाखिल–खारिज (सम्पत्ति नाम परिवर्तन) का तात्पर्य, नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा के अन्दर स्थित किसी नागरिक के अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन आदि) के सम्बन्ध में नगर पंचायत अभिलेखों में अंकित वर्तमान प्रविष्टि के नियमानुसार साक्ष्य के आधार पर निरस्त कराकर सही स्वामी का नाम अंकित कराने से है।

3. नगर पंचायत सीमा के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति (भूमि, भवन आदि) के प्रत्येक उस अध्यासी का जो उत्तराधिकारी, विक्रय–पत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या किसी अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार पर अचल सम्पत्ति की, जो उसके अध्यासन में है। स्वामी है या अपने आप को स्वामी समझता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर, उसका कर्तव्य होगा कि वह इन उपविधियों के अन्तर्गत उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दाखिल–खारिज की कार्यवाही हेतु प्रार्थना–पत्र अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4. उपरोक्त नियम तीन के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थी को नगर पंचायत, गूलरभोज के समस्त बाकायेदारों एवं अन्य बकायों को यदि कोई हो, के सम्पूर्ण अदायेगी का प्रमाण–पत्र एवं दाखिल–खारिज हेतु निर्धारित शुल्क, जिसका विवरण नियम–18 के अन्तर्गत अनुसूची में किया गया है, के अनुसार अदा कर, रसीद प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उसका प्रार्थना–पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5. दाखिल–खारिज हेतु भुगतान किया जाने वाला शुल्क नगर पंचायत, गूलरभोज के कर लिपिक द्वारा प्राप्त किया जायेगा एवं दाखिल–खारिज शुल्क प्रत्येक प्रार्थना–पत्र के लिए पृथक्–पृथक् भुगतान करना होगा, एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा और न ही इस का समायोजन किया जायेगा।

6. दाखिल–खारिज हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में निम्न विवरण अनिवार्य रूप से देने होंगेः–

   (क) अचल सम्पत्ति (भूमि या भवन आदि) की संख्या एवं क्षेत्रफल;

   (ख) चौहद्दी;

   (ग) नगर पंचायत अभिलेखों में अंकित वर्तमान प्रविष्टि का विवरण;

   (घ) मार्ग एवं मौहल्ले का नाम, जिसमें अचल सम्पत्ति स्थित हो;

   (ङ) उत्तराधिकार, विक्रय–पत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार व दस्तावेज (जो कि किसी स्तर पर नियमानुसार पंजीकृत अवश्य हो);

   (च) उन व्यक्तियों के नाम, जिनको प्रार्थी अपने पक्ष में गवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है;

   (छ) अचल सम्पत्ति (भूमि एवं भवन आदि) की माप।

7. प्रार्थना–पत्र कार्यालय में प्राप्त होने पर मौके की जाँच हेतु किसी भी नगर पंचायत कर्मचारी को आदेश किया जायेगा, जो अपनी जाँच रिपोर्ट एक सप्ताह में देगा।

8. जाँच रिपोर्ट आने पर नगर पंचायत, गूलरभोज के अधिशासी अधिकारी द्वारा इन अचल सम्पत्तियों के दाखिल–खारिज की सूचना–पत्र या एक इश्तिहार/विज्ञापन के रूप में जारी किया जायेगा। इश्तिहार का व्यय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देना होगा।

9. इश्तिहार जारी होने के बाद इस अचल सम्पत्ति के लिए दाखिल–खारिज हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इश्तिहार जारी होने के 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगा।

10. आवेदक को इश्तिहार पर होने वाले व्यय भार को स्वयं उठाना होगा जिसमें निकाय की कोई जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व नहीं होगा।

11. नामान्तरण प्रक्रिया में किसी आपत्तिकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो पृथक्–पृथक् रूप से आपत्तिकर्ताओं को आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ नगद रूप में ₹ 500 जमा करने होंगे। जो कि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जा सकेगा।

12. आपत्तिकर्ता को आपत्ति के साथ नगर पंचायत, गूलरभोज के समस्त बकाये करों की अदायेगी का प्रमाण–पत्र पेश करना होगा, इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता के साथ आपत्ति रसीद संलग्न करेगा तभी उसकी आपत्ति स्वीकार की जायेगी, अन्यथा निरस्त की जायेगी।

13. यदि आपत्तिकर्ता की स्वीकार की गई आपत्ति निरस्त कर दी जाती है तो आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति के साथ जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

14. दाखिल–खारिज की कार्यवाही के दौरान समस्त साक्ष्य लिखित एवं गवाहों के रूप में अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करने होंगे।

15. समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण हो जाने पर दाखिल–खारिज प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में कर दिया जायेगा। उसकी सूचना/आदेश का संक्षिप्त सार पूँजी रजिस्टर व कर निर्धारण सूची तथा माँग वसूली रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

16. दाखिल–खारिज की कार्यवाही के दौरान कोई विवाद स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य बिन्दु पर उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष, नगर पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा।

17. दाखिल–खारिज की कार्यवाही के दौरान यदि कोई पक्ष कार्यवाही के विरूद्ध न्यायालय में निषेधाज्ञा प्रस्तुत करता है, तो दाखिल–खारिज की कार्यवाही सम्बन्धित न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक रोक दी जायेगी।

18. दाखिल–खारिज की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि किसी पक्ष के दीवानी न्यायालय में निर्णय के अनुसार उसके प्रार्थना–पत्र पर तद्नुसार अभिलेख में संशोधन कर दिया जायेगा।

19. दाखिल–खारिज की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 45 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी।

20. दाखिल–खारिज करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित अनुसूची में निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। किसी भी भवन का नामान्तरण दूसरे पक्ष के नाम इन्द्राज कराने पर प्रति भवन/भूमि कर नामान्तरण पर ₹ 2000/शुल्क देय होगा तथा वित्तीय वर्ष में लगे भवन कर धनराशि डेढ़ गुना हो जायेगा।

मुक्ति

1. नगर पंचायत कर्मचारी अपने हक में जो नामांकन का प्रार्थना–पत्र देंगे, शुल्क से मुक्त होंगे।

2. राजकीय अचल सम्पत्ति शुल्क से मुक्त होगी।

3. धार्मिक स्थल, सम्पत्ति शुल्क से मुक्त धार्मिक स्थल से तात्पर्य किसी तरह के व्यवसायिक उपयोग हेतु किराये बेचना दुकानें आदि सम्पत्ति में देना होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका एक्ट, 1916 की धारा 299 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन), अधिनियम, 2003 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, गूलरभोज एतद्द्वारा यह व्यवस्था कर इस उपविधि में दिये गये किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा भवन कर नामान्तरण प्रक्रिया में गलत अभिलेख/दस्तावेज/साक्ष्य अथवा गुमराह किए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

सार्वजनिक सूचना

03 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 358/गजट/2017–18–सर्वसाधारण को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन–शहरी विकास, अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 1564/IV(3)/2015–03(घो0)/2015, देहरादून, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के द्वारा नवगठित नगर पंचायत, गूलरभोज के सृजन के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 267, 276 के अन्तर्गत एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्रबन्धन एवं हथालन नियम, 2000 (1999) एवं भारत के राजपत्र (गजट/अधिसूचना सं0–861), 8 अप्रैल, 2016 (संशोधित) अधिनियम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, भारत के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत लोकसुरक्षा, सुविधा एवं नियंत्रण के उद्देश्य से नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्रबन्धन एवं हथालन नियम–2000(1999)/2016 के अधीन रहते हुए, नियमावली/उपविधि नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 267, 270, 272, 273, 274, 276 के अन्तर्गत नगर पंचायत, गूलरभोज के प्रशासक/जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन दिनांक 10.07.2017 के अनुसार नगर पंचायत, गूलरभोज की सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ–साथ कूड़ा–कचरा निस्तारण एवं उपचार तथा गन्दगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/नाली, सड़क/खडंजा, गली में कूड़ा–कचरा फेंकने) व्यक्तियों, नागरिकों, व्यवसायियों, दुकानदारों पर जुर्माना आरोपित करने हेतु यह उपविधि बनाते है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों/व्यापारियों/ उद्यमियों/नागरिकों/शैक्षिक संस्थाओं/सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जा रही है।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर–अन्दर प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत, गुलरभोज के नाम से कार्यालय नगर पंचायत, गूलरभोज में अपनी आशेप/सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधि

1–परिभाषायें– जो नगर पंचायत गूलरभोज से सम्बन्धित है। यह कि–

1–यह उपविधि– नगर पंचायत गूलरभोज की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अवशिष्ट, प्रबन्धन एवं हथालन के साथ–साथ कूडा–कचरा निस्तारण एवं उपचार/दण्ड प्राविधान नियमावली/उपविधि–2017 कहलायेगी।

तथा गंदगी करने वाले(सार्वजनिक नाला/नाली, सडक/खडंजा, गली मे कूडा कचरा फैंकने) अथवा नगर पंचायत गूलरभोज के द्वारा दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अडचन विघ्न डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, नागरिको, व्यवसायियों, दुकानदारों, संस्थाओं पर जुर्माना आरोपित करने हेतु, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। लोक हित/नगर हित/सुरक्षा/सुविधा/नियत्रण करने हेतु नगरीय ठोस अवशिष्ट, प्रबन्धन एवं हथालन के साथ–साथ कूडा–कचरा निस्तारण एवं उपचार उपविधि 2017 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(क)–अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड (यू0पी0) म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916, अध्यादेश, 2002 से है।

(ख)–**नगर पंचायत गूलरभोज की सीमा से तात्पर्य**–नगर पंचायत गूलरभोज के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(ग)–**अधिशासी अधिकारी**–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गूलरभोज से हैं।

(घ)–**अध्यक्ष**–अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत गूलरभोज के निर्वाचित अध्यक्ष एंव प्रभारी अधिकारी–उपजिलाधिकारी/प्रशासक–जिलाधिकारी से है।

(ड़) **बोर्ड**–बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के सदन से है।

(च) दण्डाधिकारी –दण्डाधिकारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

2–नगर पंचायत गूलरभोज की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ–साथ कूडा–कचरा निस्तारण एवं उपचार नियमावली/उपविधि–2017 के अन्तर्गत गंदगी करने वाले(सार्वजनिक नाला/नाली, सडक/खडंजा, गली मे कूडा कचरा फेंकने) अथवा नगर पंचायत गूलरभोज के द्वारा दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अडचन विघ्न डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, नागरिको, व्यवसायियों, दुकानदारों,संस्थाओं पर जुर्माना आरोपित करने हेतु, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है पर लागू होगी।

3–इस नियमावली/उपविधि के अन्तर्गत नगर पंचायत गूलरभोज की सम्पूर्ण सीमा में निवासरत नागरिकों व्यक्तियों एवं दुकानदार, व्यवसायियों, उद्यमियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय भारत दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशो एवं व्यवस्थाओं के तहत नगरीय ठोस अवशिष्ट, प्रबन्धन एवं हथालन के साथ–साथ कूडा–कचरा निस्तारण एवं उपचार नियमावली/उपविधि–2017का पालन करना अनिवार्य होगा।

4–इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि से उत्पन्न कूडे कचरे को रखने हेतु दो कूडेदानों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

5–इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूडे कचरे को रखने हेतु दो कूडेदानों में प्रथक प्रथक रूप से जैविक तथा अजैविक कूडा कचरा रखना होगा।जैविक कूडेदान के अन्दर बचा हुआ खाना, साग, सब्जी, फल के अवशेष तथा सडने/गलने वालीजैसे गत्ता, कागज, कपडे आदि चीजे रखे जायेंगे। अजैविक कूडेदान में प्लास्टिक पॉलीथीन थर्माकाल व अगलनशील वस्तुएं जैसे कांच, लोहा, व अन्य चीजे आदि रखनी होगी।

6– इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूडे कचरे कोनगर पंचायत के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक को नियंत्रण हेतु हस्तगत दोनो प्रकार के कूडेदानों को करना होगा।

7–इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग हेतु निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूडे कचरे को नगर पंचायत गूलरभोज द्वारा जनहित एवं सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध/स्थापित कराये गये कूडे दानो मे ही प्रथक प्रथक रूप से अपना कूडा–कचरा निस्तारित करना होगा।

8–इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूडे कचरे को नगर पंचायत गूलरभोज की सार्वजनिक सडक, खडंजा, गली, नाला, नाली, में डालना प्रतिषेध रहेगा।

9–इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम आदि के कूड़े–कचरे को यदि घर–घर से प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान तक नगर पंचायत, गूलरभोज के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक/स्वयंसेवी संस्था द्वारा कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण किया जाता है तो निकाय द्वारा उपभोक्त फीस (यूजर चार्जेज) के रूप में मासिक शुल्क वसूला जायेगा। जिसकी दरें निम्नवत् होगी–

क्रम सं0	नाम	मासिक शुल्क	क्रम सं0	नाम	मासिक शुल्क
1.	प्रति घर से कूड़ा एकत्रीकरण	₹ 30 प्रति माह	9.	होटल 10–20 बैड तक	₹ 2,000 प्रति माह
2.	किसी भी प्रकार की दुकान से कूड़ा–कचरा एकत्रीकरण	₹ 50 प्रति माह	10.	सब्जी/फल की दुकान	₹ 100 प्रति माह
3.	होटल खाना (भोजनालय)	₹ 100 प्रति माह	11.	सब्जी/फल की आढ़त	₹ 300 प्रति माह
4.	चाय की दुकान	₹ 50 प्रति माह	12.	बढ़ई/कारपेन्टर की दुकान	₹ 200 प्रति माह
5.	मिठाई की दुकान	₹ 100 प्रति माह	13.	कारखाना/वर्कशॉप	₹ 200 प्रति माह
6.	रेस्टोरेन्ट	₹ 200 प्रति माह	14.	चक्की फ्लोर मिल/मसाला फैक्ट्री	₹ 200 प्रति माह
7.	बैंकट हाल/बारात घर	प्रति कार्यक्रम ₹ 500 प्रति दिन	15.	नर्सिंग होम/प्राइवेट अस्पताल	₹ 300 प्रति माह
8.	होटल 1–10 बैड तक	₹ 1,000 प्रति माह			

10–इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि का कूड़ा कचराके एवज में उपभोक्त फीस (यूजर चार्जिज)न देने की स्थिति में सम्बन्धित/उपभोक्ता के विरूद्ध इस उपविधि के अन्तर्गत दण्ड प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11–इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि का कूड़ा कचरा को नगर पंचायत द्वारा अधिकृत/कार्मिक/स्वयसेवी संस्था को न देकर अत्र यत्र फैंकने पर 1000 रूपया मौके पर नकद आर्थिक दण्ड किया जा सकता है।

12–इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि का कूड़ा कचरा के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत शौचालय, मूत्रालय, सैप्टिक टैंक का दूषित जल/मलवा/विष्टा/सीवेज आदि नगर पंचायत की सार्वजनिक नाला नाली/स्थान पर न डाल सकेगा दोषी पाये जाने पर दण्ड का भागी होगा।

13– इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति/व्यवसायिक/दुकानदार/उद्यमी आदि आधीन रहते हुए कोई भी उपभोक्ता 40 माइक्रोन से कम मोटी पॉलीथीन का प्रयोग नही कर सकेगा। किसी भी प्रकार की कैरिबैग जो 40 माईक्रोन से कम मोटी होने पर उपयोग/विक्रय नहीं कर सकेगा।

14– इस नियमावली के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायिक/दुकानदार/उपभोक्ता आदि अपनी निजी अथवा सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा किसी भी स्थल/स्थान पर अथवा प्लाट/मकान/अहाते में कोई संक्रामकारी वस्तु/गन्दगी कूड़ा कचरा अथवा दूषित मल आदि एकत्र न कर सकेगा।

15– लगयत 1 से 15 के अतिरिक्त राजपत्र(गजट/अधिसूचना–861) दि0 8 अप्रैल 2016 में दिये गए निर्देश का भी पालन इस उपविधि/नियमावली 2017 के अन्तर्गत गन्दगी, कूड़ा, कचरा उत्पन्नकर्ताओं का यह भी कर्तव्य होगा कि–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नजीकरणयोग्य, गैर निम्नजीकरणयोग्ये और घरेलू परिसंकटमय के तीन अलग–अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय–समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निदेश या अधिसूचना पृथक किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालो या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौपेंगा;

(ख) प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्देशित उपयुक्त लपेटन सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए बनाए गए डिब्बे मे उसे डालेगा;

(ग) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भंडारित करेगा, जब कभी वह उत्पन्न होता हो, और उसे संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम,2016 के अनुसार निपटान करेगा; और

(घ) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा;

(2) कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा न जलाएगा और न गाड़ेगा;

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का अयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा;

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य(डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलको, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए प्रयोज्य पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचना अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा;

(6) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख सेएक वर्ष से अंदर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक करने, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेंगे। जैव–अपक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।

(7) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर 5,000 वर्ग मी.से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग अलग पत्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेंगे। जैव अपक्रमणीय अपशिष्ट को अलग

अलग पात्रों में संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जाएगा;

(8) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी होटल और रेस्टोरंटस्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव–अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।

दण्ड प्राविधान

यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट 1916 की धारा 299(1) के अधीन इस उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर रु0 5000.00 (पांच हजार रूपया मात्र) तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा। उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से पांच हजार दण्ड धनराशि के अतिरिक्त प्रति दिन 25.00 रूपया की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय मे वाद दायर कर दिया जायेगा। तथा उस पर होने वाले व्यय भार/हर्जे–खर्चे की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा। प्रतिपक्ष वाद समझौता समाधान की स्थिति में समझौता शुल्क के रूप मे 2000 रूपया अतिरिक्त वाद शुल्क देना होगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, गूलरभोज,
ऊधमसिंह नगर।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रभारी अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
नगर पंचायत, गूलरभोज,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)

उपविधि सूचना

27 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 323 / उपनियम / 14–15–पत्रांक 323–सफाई अनुभाग / 2014–15 नगरपालिका परिषद्, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर ने नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 झ(घ) एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली 25.09.2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को नियन्त्रित करने हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) की उपविधि बनाई गई है। जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0–4(2), दिनांक 05.09.2014 के द्वारा कर दी गई है–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–इस नियमों का संक्षिप्त नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत उपभोग (यूजर चार्जेज) नियम, 2014 होगा।

2. जैसा इस नियमों में अन्यथा उपबन्धित है, उसके अतिरिक्त में राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू / प्रवृत्त होंगे।

3. लागू होना–ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रह पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के संचालन एवं रख–रखाव के लिए होगा।

न्यू एक्ट, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम भारत का राजपत्र दिनांक 25.09.2000 के प्राविधानों पर निम्न उपविधियों व शुल्क आरोपण किए जाने हेतु।

उपविधि नियमावली :

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्रबन्धन एवं हथालन योजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) उपविधि, 2014 कहलायेंगी।

2. उक्त उपविधि नगरपालिका, बाजपुर की सीमान्तर्गत प्रभावी होगी।

परिभाषा :

1. नगरपालिका से तात्पर्य–नगरपालिका परिषद्, बाजपुर से है, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, बाजपुर से है।

2. अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य–अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बाजपुर से है।

3. नगर स्वास्थ्य अधिकारी से तात्पर्य–नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बाजपुर से है।

4. स्वच्छता समिति से तात्पर्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नगरपालिका परिषद्, बाजपुर मौहल्लों में गठित स्वच्छता समिति से है।

उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) शुल्क सूची

क्रम सं0	वर्ग/श्रेणी	दर प्रतिमाह
1.	प्रति परिवार	25.00
2.	ढाबा	350.00
3.	रेस्टोरेन्ट	500.00
4.	पान स्टॉल/टी स्टॉल/ ठेले	25.00
5.	होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला, 01 से 10 कमरों तक	1,000.00
6.	होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला, 11 से 20 कमरों तक	1,200.00
7.	तीन सितारा होटल	2,500.00
8.	पाँच सितारा होटल	5,000.00
9.	कार्यालय	250.00
10.	समस्त प्रकार की फैक्ट्री	1,500.00
11.	राईस मिल	1,000.00
12.	वर्कशॉप–2 पहिया वाहन	150.00
13.	वर्कशॉप–4 पहिया वाहन	200.00
14.	अन्य वर्कशॉप	300.00
15.	2–4 पहिया वाहनों के शोरूम	1,000.00
16.	अन्य समस्त प्रकार की दुकानें–प्रति दुकान	100.00
17.	सिनेमाहाल	1,200.00
18.	ब्रेकरी/फूड प्वाइन्ट एवं ब्रेकरी आउटलेट	500.00
19.	हॉस्टल 01 से 50 कमरों तक	1,000.00
20.	हॉस्टल 50 कमरें अथवा उससे अधिक	1,500.00
21.	बैंक	250.00
22.	फास्ट फूड	400.00
23.	स्वीट शॉप साधारण	350.00
24.	स्वीट शॉप ब्राण्डेड	500.00
25.	बेजीटेबिल/फल–सब्जी की दुकान	200.00
26.	फल–सब्जी की आढ़त	500.00
27.	गल्ला आढ़त दुकानें	500.00
28.	गुड आढ़त	500.00
29.	स्कूल (सरकारी)	200.00
30.	स्कूल (प्राइवेट)	1,000.00
31.	अन्य अधिष्ठान	500.00
32.	बारात घर/बैंकट हॉल	2,500.00
33.	बार	2,600.00

शुल्क वसूली

1. नगरपालिका परिषद्, बाजपुर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्धारित रसीद द्वारा की जायेगी।

2. नियमित समय के अन्दर शुल्क भुगतान न करने पर अवशेष राशि की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी।

3. शुल्क वसूली हेतु नगरपालिका/आई0एस0डब्लू0एम0 क्रियान्वयन संस्था निर्धारित प्रारूप पर मांग वसूली रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रतिमाह, प्रतिदिन अथवा पालिका/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा समय–2 पर जनसुविधानुसार शुल्क वसूली की जा सकेगी। वार्षिक शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) एवं दण्ड वसूलने हेतु नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी अथवा नगरपालिका परिषद् द्वारा अधिकृत एस0डब्लू0एम0 को क्रियान्वित करने वाली संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समितियाँ अधिकृत होगी। बकाये की वसूली भू–राजस्व की भाँति की जायेगी।

4. प्रतिमाह/प्रतिदिन दैनिक आय का संलग्न प्रारूप का सत्यापन नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।

5. उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) वसूली अनुसूची में समय–2 पर जनसुविधानुसार नियमों में परिवर्तन के लिए नगरपालिका परिषद्, बाजपुर में निहित होगी।

6. विशेष परिस्थितियों में आवेदन करने पर अतिनिर्धन व्यक्ति/संस्था को उक्त शुल्क से छूट देने का अधिकार नगरपालिका परिषद्, बाजपुर में निहित होगा।

शास्ति

निगम की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) उपविधि का उल्लंघन करने पर नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 की धारा 541 के अधीन कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड जो ₹ 1,000=00 तक होगी, यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 50.00 प्रतिदिन दण्ड देय होगा। यदि उपभोक्ता (यूजर) कूड़ा अलग–2 डिब्बों में पृथक्कीकरण कर नहीं रखता है तो यूजर चार्जेज दो गुना देय होंगे।

जसवीर कौर,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊधमसिंह नगर)

सार्वजनिक सूचना

28 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 179/न0पं0/उपविधि/2017–18–नगर पंचायत, केलाखेड़ा, जिला ऊधमसिंह नगर सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 की उपधारा 2, खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" बनाई जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, केलाखेड़ा, जिला ऊधमसिंह नगर को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ–

1. यह उपविधि नगर पंचायत, केलाखेड़ा, जिला ऊधमसिंह नगर की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, केलाखड़ा, जिला ऊधमसिंह नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ–

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) "उपविधि" से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है।

(iii) "नगरपालिका" से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243(थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत, केलाखड़ा, जिला ऊधमसिंह नगर से है।

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से अभिप्रेत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत नगर पंचायत, केलाखड़ा, जिला ऊधमसिंह नगर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" से अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) "नियम" से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 30 नवम्बर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) "अधिनियम" से अभिप्रेत, उ0प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट" (Biodegradable waste) से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है, सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-biodegradable waste) का अभिप्रेत, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी हैं।

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable waste) से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथिन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण" (Collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना, अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद बनाने" (Composting) ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Demolition and Construction waste) से अभिप्रेत, सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री, रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) "व्ययन" (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेश वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिकरण" (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल, अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान, अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घूलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) "नगरपालिका प्राधिकारी" (Municipal authority) में म्युनिसिपल कार्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानून के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी" (Local authority)' का अभिप्रेत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचालक" (Operator of a facility)' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनःचक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) "पुनःर्चक्रण" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 5 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट, सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित, दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर, नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगर पंचायत से सम्पर्क कर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारिता जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति, नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5/– के पूर्णांक में की जायेगी।

15. यह उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार, जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार ₹ 200.00, दूसरी बार पर ₹ 500.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,000.00 पैनेल्टी देनी होगी।

17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500.00, द्वितीय बार ₹ 1,000.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,500.00 की अर्थदण्ड (penalty) देनी होगी।

18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (User charges) की दरें निम्नवत् है:–

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User charges) की दरें

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (Use charges) की राशि ₹ में			
		जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देने पर
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5	10	15	20
2.	मध्यम वर्ग, कम आय वाले घर	10	15	20	25
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	15	20	25	30
4	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125

1	2	3	4	5	6
5.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बरातघर	1,000	1,500	1,000	1,500
9.	बैकरी	150	200	150	200
10.	कार्यालय	50	100	50	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	20	25	25	25
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200	400	200	250
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15.	दुकान	100	200	150	175
16.	फैक्ट्री (उद्योग)	200	400	300	450
17.	वर्कशाप/कबाड़ी	1,000	1,500	500	700
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे-मण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा/जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागे नहीं होंगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5000.00 (रु0 पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तब अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, केलाखेड़ा, जिला ऊधमसिंह नगर में निहित होगा।

मौ0 इस्लाम,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, केलाखेड़ा,
ऊधमसिंह नगर।

मौ0 शफी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, केलाखेड़ा,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर

11 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 679/यूजर चार्ज नियमावली प्रकाशन/2017–18–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न उपविधि जनता की आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है, जिस किसी को भी इस संबंध में आपत्ति/सुझाव देने हो, लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नगरपालिका परिषद्, खटीमा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है, उपविधि का अवलोकन नगरपालिका परिषद् कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है, समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 सूची 1झ के खण्ड (घ) एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली 25.09.2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को नियमित करते हुए, उपयोग शुल्क (यूजर चार्ज) की उपविधि बनाई जाती है।

अर्थात्

7. संक्षिप्त नाम–इस नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत उपयोग शुल्क (यूजर चार्ज) नियम 2017 होगा।

8. प्रारम्भ–जैसा इन नियमों अन्यथा उपबंधित है उसके अतिरिक्त में राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू/प्रवृत्त होंगे।

9. लागू होना–ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रह पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के संचालन एवं रख–रखाव के लिए होगा। म्यूनिसिपल एक्ट, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम भारत का राजपत्र दिनांक 25.09.2000 के प्राविधानों पर निम्न उपविधियों व शुल्क आरोपण किए जाने हेतु आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है। जिस किसी को भी इस संबंध में आपत्ति/सुझाव देने हो लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर नगरपालिका परिषद्, खटीमा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उपविधि का अवलोकन नगरपालिका परिषद्, खटीमा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 झ(घ) एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली 25.09.2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को।

उपविधि नियमावली

5. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन योजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु उपभोग शुल्क यूजर चार्ज उपविधि, 2016 कहलायेगी।

6. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के सीमान्तर्गत प्रभावी होगी।

परिभाषा

9. नगरपालिका से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर से है।

10. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर से है।

11. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर से है।

12. स्वच्छता समिति से तात्पर्य, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा गठित मोहल्ला स्वच्छता समितियां है।

उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) शुल्क सूची

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क
1.	आवासीय भवन (तीन कमरों तक)	₹ 30.00 प्रतिमाह
2.	आवासी भवन (तीन कमरों से अधिक)	₹ 50.00 प्रतिमाह
3.	सब्जी व फल विक्रेता ठेली पर फेरी	₹ 40.00 प्रतिमाह
4.	सब्जी व फल विक्रेता फड/दुकान	₹ 80.00 प्रतिमाह
5.	माँस एवं मछली की दुकान	₹ 500.00 प्रतिमाह
6.	फुटकर दुकान, मिठाई, चाय की दुकान	₹ 150.00 प्रतिमाह
7.	रेस्टोरेन्ट/गेस्ट हाउस	₹ 500.00 प्रतिमाह
8.	होटल/भोजनालय	₹ 500.00 प्रतिमाह
9.	बारात घर (चैरिटेबिल)	₹ 300.00 प्रति उत्सव
10.	बारात घर (नान–चैरिटेबिल)	₹ 1,500.00 प्रति उत्सव
11.	कार्यालय/स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, सरकारी	₹ निःशुल्क
12.	निजी कार्यालय/ स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ	₹ 500.00 प्रतिमाह
13.	बैंक	₹ 500.00 प्रतिमाह
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयो मेडिकल वेस्ट छोड़कर)	₹ 1,000.00 प्रतिमाह
15.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	₹ 300.00 प्रतिमाह
16.	दुकानें (खाद्य पदार्थ बनाकर बेचने वाली दुकानें)	₹ 100.00 प्रतिमाह
17.	खाद्य पदार्थ बनाकर बेचने वाले हाथ ठेले	₹ 100.00 प्रतिमाह
18.	वर्कशॉप	₹ 200.00 प्रतिमाह
19.	कबाड़ी दुकान	₹ 500.00 प्रतिमाह
20.	जूस/गन्ने का रस	₹ 500.00 प्रतिमाह
21.	सार्वजनिक निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि	₹ 1,000.00 प्रतिमाह
22.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घ0मी0 तक ₹ 100.00 प्रतिमाह, 1.00 घ0मी0 तक ₹ 200.00 प्रतिमाह, 3.00 घ0मी0 तक ₹ 1,000.00 प्रतिमाह, इससे अधिक प्रति घ0मी0 तक 500.00 प्रतिमाह
23.	बार	₹ 1,000.00 प्रतिमाह
24.	बारबर/मोची/दर्जी/ड्राईक्लीनर व्यवसाय करने वाली दुकान	₹ 100.00 प्रतिमाह
25.	सीमान्तर्गत के मिल/फैक्ट्री	₹ 600.00 प्रतिमाह
26.	अन्य मद, जिनका विवरण उक्त नियमावली में नहीं है	₹ 100.00 प्रतिमाह

अनुसूची–2

जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट	पुनः चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
1	2	3
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ खाद्य अपशिष्ट, जिसमें अण्डे के छिलके एवं हड्डियाँ भी हो सकती है।	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड, बोर्ड तथा कार्टून	बटन सैल, फ्लैश लाइट/कार बैटरी

1	2	3
घरेलू झाडू से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लीच, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनेटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे, परिसंकटमय को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार का काँच/धातु/रबड़/लकड़ी	रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल पुड़िया, ट्रैटापैक, कैसेट, कम्प्यूटर, डिस्केट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जैक्शन, सुई तथा सीरिन्ज, खराब दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट तथा छोटे फ्लोसैन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गोंद, थिनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी

शुल्क वसूली

11. नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था/मोहल्ला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्धारित रसीद दी जायेगी।

12. नियत समय के अन्दर शुल्क यूजर चार्ज भुगतान न करने पर अवशेष राशि की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी।

13. शुल्क वसूली हेतु नगरपालिका परिषद्, खटीमा क्रियान्वयन संस्था निर्धारित प्रारूप पर माँग वसूली रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रतिमाह/प्रतिदिन अथवा नगर पंचायत संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा समय–समय पर जनसुविधानुसार शुल्क वसूली की जायेगी। वार्षिक शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में एक मुस्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। उपभोग शुल्क एवं दण्ड वसूलने हेतु नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के अधिशासी अधिकारी अथवा नगरपालिका परिषद्, खटीमा द्वारा अधिकृत क्रियान्वित करने वाली संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समितियाँ अधिकृत होगी।

14. प्रतिमाह/प्रतिदिन दैनिक आय की संलग्न प्रारूप का सत्यापन नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।

15. उपभोग शुल्क वसूली अनुसूची में समय–समय पर जनसुविधानुसार नियमों में परिवर्तन का अधिकार नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के बोर्ड में निहित है।

शास्ति/दण्ड

नगरपालिका परिषद्, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग शुल्क नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त व्यवस्था के तहत कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड, जो ₹ 1,000.00 तक होगा। यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 50.00 प्रतिदिन दण्ड देय होगा। यदि उपभोक्ता कूड़ा अलग–अलग डिब्बों में पृथक्कीकरण कर नहीं रखता है तो यूजर चार्जेज दो गुने देय होंगे।

कमला पाण्डे,	सुरैया बेगम,
अधिशासी अधिकारी,	अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, खटीमा	नगरपालिका परिषद्, खटीमा
(ऊधमसिंह नगर)।	(ऊधमसिंह नगर)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/806–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।